ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): I have to inform the hon. Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 4th August, 1988 allotted time for Government Legislative Business as follows:—

Consideration and passing of the following Bills:

(a) The Food Corporation (Amendment Bill 1988 as passed by the Lok Sabha ..... 2 hours

(b) The Aircraft (Amendment) Bill, 1988, as passed by the Lok Sabha ..... 1 hour

(c) The Labour Laws (Exemption from furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Bill, 1988, as passed by the Lok Sabha .... 1 hour

Now, we shall take up the Short Duration Discussion Dr. Vijaya Mohan Reddy.

SHORT DURATION DISCUSSION

II. Recent incidents of Atrocities on Harijans and Tribals in some parts of the country—contd.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Sir, we have heard for about 15 minutes the speech of Mr. Rameshwar Thakur. The subject of the discussion is incidents of atrocities on Harijans and tribals in some parts of the country. We did not come here to hear from him the expenditure incurred on Harijans and the money spent on scholarships. They must prepare themselves for this kind of debate.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, it is well known that slavery continues to exist in India. It means that the slave has no right on himself, on his own life. He cannot own property. He has to work for others without any remuneration. In Andhra Pradesh, we used to call such a system as vetti. It is not bonded labour. The man simply does not exist. He exists to work for the exploiting classes. His existence is only to go on working as a slave for the exploiting classes. He is made to live outside the village. He has no right on his own small hut. He has no right on his own life. He has to go on doing this work. When the Government official comes, he has to do the work for him. He has to be continuously doing the work for the landlord. He has to be at the mercy of the landlord. By any chance even if a small mistake is committed by him, brutal punishment is given. Sometimes it is even death. So many reports are coming. That means he is a slave. This system of exploitation is called fate. That means he is a slave by birth. That is the theory of birth. In the next janama if he does his labour well and if he goes on producing grain and filling the granaries of the rich, the God may give him birth in a better and privileged condition. This philosophy was there. That was shattered by Buddhism. Buddhism was a revolutionary force which urged equality. When Buddhism came in, another philosophy was introduced. That philosophy is that it is all by karma. Neither this nor that has been able to ameliorate the condition of 25 per cent of our people from their existing condition. 25 per cent of the people are slaves. Then, there is another tendecy to divide them and convert them into religions. When they have been converted into other religions, the same caste continues. A converted Harijan in a Sikh community will become a Harijan of the Sikh community and not taken by the others. If he becomes a Christian, he has got a Harijan Church for him to pray, not the community church. If he becomes a Muslim, same is the case. Even by changing the religion also, things

have not changed. That is why the tendency view this problem as a non-political problem. Let us do some social work and try to win over the Harijans to singing some parables to them. This is what is happening. Mahatma Gandhi was very sincere when he talked. He said that they are part of the community. But side by side, he said that this land is of Gopal. He said the land belongs to Gopal, not to you and me because we have not created the land. When we say reservation, when there are no jobs, reservation has no meaning. The land is there. You give one-fourth of the land to this community. Then there will be no problem. You give one-fourth of the grazing ground to them. You protect their rights. Then, will there be any problem? Then they will join the community. If you try to separate them, the problem will not be solved. What is the reality? You go on talking that 'we are helping them, we are bringing them up from the povertyline, and we are trying to do justice to them. Please respond to us.' And if you say, "we are not responsible for the atrocities, we are only responsible for the social work which are doing," nobody will believe you. And even the Harijan community is also refusing to believe in your philanthropic activities. With all pervading corruption, do you mean to say that you can reach the poor man? You have not reached them at all. Have you gone to Bihar? What about these people who are living in shovels? When I asked about the housing programme, the District Collector who was with us told us that there is nothing like this in Bihar and that we have not heard about these programmes. (*Interruption*) There was no housing or any other programme. This was revealed to me. And people are being shot dead. Human beings are being shot dead. Harijans working in the fields are being shot dead. A person working in the house of a rich man was shot dead. People are being killed to terrorise them, to bend them, to break them, to bring them under the field of exploitation. And you want this problem to be a non-political problem. Even after 40 years of independence, if you want to deceive the people, they are not going to be deceived by you. There is crisis in the entire system. Rice cannot be purchased except at Rs. 8 a kg., vegetables cannot be purchased except at Rs. 8 or Rs 10 per kg. Oil cannot be purchased except at the rate of Rs. 30 per kg. So, what can you expect? These persons do not have land. These persons are temporarily employed. These persons do not have any wage. They have to work under these conditions. Then, one day, they would try to stir up and try to ask themselves: 'What is my right?" When he said, 'vote hamara, raj thumhara kya, all the oppression started. You please understand this. Let us go to the core of the issue. Oppression has started. Atorcities are growing everywhere. Atrocities will grow more and more because it is in the system, because the State terrorism exists. The feudal lords, along with the landlord community, were oppressing the people. Don't have a blind eye. When the Nizam was there in Telengana he killed about 5000 to 6000 peasantry to protect his raj.

The same thing is happening now also. Let not the tiger forget about the stripes. You are the tiger and you are having the stripes and your oppressive regime is hand in glove with this oppression. If not, why can't you, as one of our colleagues asked, abolish senas? Unless there is a comprehensive report about it the Government of India cannot think about the problem. This is the attitude of the Government of India and the State Governments never think about it because if it thinks about it, it is no more in power, as in Bihar. This is the logic of the situation, Sir.

Mr. Vice-Chairman, Sir, that is why the atrocities are mounting and my very valued colleague has very adequately quoted statistics from the reports of the Scheduled Castes and

[Dr. G. Vijaya Mohan Reddy]

Scheduled Tribes Commission and he has amply proved how atrocities are rising. Thousands and thousands of cases are reported and they are more than twenty thousand. The unreported cases are many many times more. It is not one time more but many many times more. In several States, if you see the papers, you will see the extent of these atrocities. Take, for instance, the atrocities in Bihar. I was there in Bihar for about six or seven days. Any day you take the paper and you will see about half a dozen atrocities. The same story is in Rajasthan. The same story is in Uttar Pradesh wherever the Congress regime has protected, defended this feudal system to the hilt. Atrocities are there. Any statistics will show you very clearly that it is these States which are full of atrocities and they want to go on telling nothing about this but I doubt this is what they have learnt from Gandhiji's truthfulness. If you go through the statistics in a particular year, you will see that in these States only the atrocities are there. Compared to these States the other States pale into insignificance. Thousands and thousands of killings, murders. Just take for example the Arwal murders, agonising killings. Fifty armed persons raid Sarora village and attack the villagers, loot their standing crops to subjugate them. Fifty Baroda Harijans and bhangi families, sweeper families, Mahatma Gandhi used to reside in bhangi colonies, rendered homeless by municipal corporation, which descended on their huts and bulldozed them and no alternative accommodation was provided, all under pressure of one contractor. This is the way. Another most shocking incident. A bharat procession taken out by the Scheduled Castes was passing through the Kafalta village in Ranikhet district. Caste Hindus attacked for the audocity of Harijans to ride on a horse. They chased Harijans. Burnt five houses. Set on fire four persons who are roasted alive. This is the punishment meted out simply because one person a bridegroom was made to go on the horse. These are the conditions that are being perpetuated under the cloak of Gandhism; under the cloak of Gandhism, that is the tragedy of the situation. (*Interruptions*). That is why, Sir, you go on trying to criticise every time. As my friend Mr. Hanumantha Rao has said, what is in Andhra Pradesh, go through your own statistics, where the atrocities are taking place. Some of you, the land-lords from the Congress joined our party and at two places some incidents have occurred. They were turned down and judicial inquiries were instituted. (*Interruptions*). That is how it happens. The exploited class will strive till this phenomena is completed routed out.

Now, most of the atrocities committed in recent years are from the Congress side. I can quote any number of instances. For Karamchedu, a crore of rupees have been spent on rehabilitation. Has anything of this type taken place in any other State? We have understood the problem correctly. We know that man is the centre of development. Leaving man from development, there cannot be true development, and that is why schemes undertaken by the Andhra Pradesh Government are focussed to see that this problem is alleviated, and we try to bring some relief to them. Our Government means to provide relief to these people and every one of the policies of our Government is directed towards this end. Anybody can go and verify every paisa that is spent. I challenge the Treasury Benches to go and find out whether every paisa of our budget that we spend is only for the alleviation of the sufferings of these classes or not, whether it is the housing programme or the clothing programme whether it is the programme to provide rice at two rupees a kilo or any other programme. We have provided 3,60,000 houses to the Harijans in addition to lakhs and lakhs of houses that we have built and we have also built lavatory and other facilities for women. We have

distributed thousands of acres of land in Challapalli, and now the District Collectors are asking as to where the surplus land is, and they are trying to tackle the problem catching it by the horn. No Harijan can be dispossessed of the land given to him on patta and no other person can take land from him. So, side by side with other measures, the problem of land is also being tackled. That is why I say once you see the ground is shifting, you want to divert the attention of the people. And now you have gone to the other stage, on clash between communities. You want to rouse other communities for a clash between castes, clash between languages, clash between religions. This is the game that you are playing. You are inheritors of the imperialist rule, true inheritors because you are continuing the British system of exploitation. But you should understand that you cannot succeed. You be sincere about it. Why should there be exploitation in a free country where Rabindra Nath Tagore said. With your heads held high in glory where the productive labour of everybody is useful for the nation? How such a great nation of ours can be considered to be a backward nation today but for your policy which is keeping 25 per cent of the people out of the pale of thinking even, because to catch some votes we say we are doing to much and we enunciated all this but nothing, in fact, reaches the people. One hon. Member also said that it is not really reaching the tribal population because of the corrupt agencies through which you operate. That is why in Andhra Pradesh, we have taken care of all these things. No person can go and buy land from the tribals; no person can take over the property of a tribal. The entire thing has been given out to the tribal population: the entire forest produce is channelled through tribal cooperatives, whether it is beedi leaves or whatever it is. We are strengthening co-operative movement; we are giving guts to the people to organise themselves and stand up in spite of problems to be faced and in spite of state economies shattering everywhere else, Andhra Pradesh is leading the march and we are prepared to accept any challenge on this count.

That is why, Sir, this problem is a political problem. It has to be tackled politically. It has to be fought politically. Do not be under the impression that 25 per cent of the people can be suppressed for all times to come. The remaining sections of the people: the workers, the small and marginal farmers; who spend half of their labour to eke out their livelihood are not going to stand aside and watch the exploitation that is going on. The villagers are uniting. Today, there is resurgence among the peasantry. Agricultural labourers are also joining this movement. That is why Andhra Pradesh has given minimum wage linked with dearness allowance.

This is the way in which the problem has to be tackled. Our hearts go out to these martyrs who are being brutally massacred in several parts of the country. They are being brutally killed. They are being shot. Let them rise. Let them overthrow. Sir, today, India is in a state of flux. A wave is rising. The wave is soon going to sweep the exploiting class. I would appeal to the democratic sections from the other side. The day of reckoning has come in this country. Therefore, let us all unite. Let us face these atrocities, let us fight these atrocities. Let us throw these people out and disarm these gangs, these terrorists, wherever they exist. Communities have to be aroused. People have to be aroused. People are rising. In spite of the other misgivings, I would appeal to the treasury benches. Let us rise to the occasion and fight these forces, whether they are in U.P. or Bihar or Rajasthan or any other part of the country. Let us see to it that our land gains back its glory when we shall share, as equals, the heritage of this great country. Mere slogans are not going to help. Thank you.

*SHRI JAGDISH JANI (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me the opportunity to participate in the Short Duration Discussion on the recent incidents of atrocities on Harijans

*English translation of the original speech delivered in Oriya.

[Shri Jagadish Jani]

and tribals in some parts of the country. Sir, people of different caste, colour and creed live in our country. Our country was ruled by the Britishers for a long period. The long British rule had broken the economic back-bone of our people. Owing to the self-sacrifice of Mahatma Gandhi, the father of our nation and Jawaharlal Nehru and other freedom fighters we now take pride of being citizens of free India.

Sir, today I express with regret that even after forty years of Independence most of the people of our country are living below poverty line. Even now we are affected by the social evils like poverty, illiteracy. After independence we have progressed a lot in the field of science and technology. In the field of Defence and food we are self-sufficient.

Sir, I express with a heavy heart that when we are marching towards 21st century, in some parts of the country the principle of 'Might is right' still prevails. In the Preamble of our Constitution we have declared ourselves as a democratic, socialist and secular country. Keeping in view the hopes and aspirations of the Indian irrespective of rich and poor, religion and caste the founding fathers drafted the constitution. Every individual has the fundamental right to live in peace and prosperity.

But till today the Harijans and tribals of the country are being exploited. The Harijans and tribals are living in almost every State of the country. As they have not got the benefit of proper education they maintain their livelihood as farm labourers. There is no political, social and economic consciousness among them. Therefore they continue to be exploited by the upper caste people. Taking advantage of simlicity and illiteracy of the Harijans and tribals the upper caste people have been exploiting them socially and economically from time immemorial.

Sir, owing to the able administration given by the Congress Party under the leadership of our Prime Minister this social evil is not spreading rapidly. It is most unfortunate that the Harijans and tribals in our country are mostly landless labourers.

Almost everyday we read in the newspapers about the reports of the atrocities committed on Harijans and tribals. These poor people are ruthlessly murdered, their property looted, their women raped and their children butchered in the most brutal manner.

Sir, here I am referring to some cases of atrocities committed on Harijans in recent past. In the month of June 19 Harijans were mercilessly killed in Nanhi Garh and Nagwan Garh village in Bihar by the upper caste people. In the village Amruthur in Karnataka atrocity on Harijan was committed on April 17th 1988. Examples of this sort are numerous.

Atrocities on Harijans and tribals have been committed on a large scale in States like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu and Gujarat. According to official data the number of cognisable offences against Harijans was 5,986 in 1976. But unfortunately it has increased to 15,939 in 1984. As per the reply to Unstarred Question No. 4390 on 23rd March 1988 in Lok Sabha the number of atrocities committed on the Harijans in 1985, 1986 and 1987 are 5373, 5403 and 3196 respectively in which total 1,546 Harijans have lost their lives.

Before concluding I would like to speak a few words about the condition of Harijans and tribals in Orissa. According to 1981 census the per centage of Harijans and tribal population in Orissa is 14.66 and 22.43 respectively. As per the State Government report the number of atrocities committed on tribal and Harijans in Orissa is 217 from September, 1986 to September, 1987.

Sir, I myself am a member of a tribal community from Orissa. In my opinion if the economic programmes of the Government will not be properly implemented their condition will continue to remain as usual. Particularly in the field of employment the reservation policy of the Government should be strictly implemented. If we as a nation do not give adequate attention to the safety, security, education and health of the Harijans and tribals the progress of the nation will remain incomplete. If the educated and progressive people of our country will not resolve to eradicate this social evil,

The Harijans will continue to be exploited by the vested-interest in future also.

Thank you.

श्री ओम प्रकाश चौटाला (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मेरे समेत दूसरे 39 माननीय सांसदों की तरफ से आज यह एक अहम विषय सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार का, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस अहम विषय को लेकर के यहां सदन में चर्चा चल रही है और हाउस में संख्या बहुत ही कम दिखाई दे रही है । इससे जाहिर होता है कि यह राज करने वाले लोग जब वोट लेने का सवाल आता है, तब तो चुनाव के मौके पर हरिजनों और आदिवासियों को बड़े सब्जबाग दिखाते हैं, उन्हें बड़े मीठे, बड़े सुहावने, बड़े लुभावने नारे देते हैं कि हम हरिजनों का उत्थान करेंगे, इनको इन कांग्रेसियों को इनको ऊपर उठायेंगे, इनको ऊंचा उठायेंगे और इन चालीस सालों में इनको ऊंचा उठाते-उठाते इतना ऊपर उठा दिया है कि धरती और आकाश के बीच में लटका कर छोड़ दिया है । अब ऊपर ये जा नहीं सकते और नीचे आयें तो प्राण-पखेरू उड़ जायं ।

महोदय, आज जगह-जगह हरिजनों पर अत्याचार के किस्से रोज अखबारों में पढ़ने को मिल जाते हैं । सदियों से हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं और आजादी के बाद भी इस देश में हरिजनों के साथ सबसे ज्यादा बदसलूकी की गई है, जबकि सविधान के अनुच्छेद 17, 23, 25 और 46 के तहत जो अधिकार उन्हें मिले हुये हैं, सामाजिक तौर पर उनसे भी वे पूरी तरह से वंचित रह गये हैं । आज मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं हो रहा और आप भी मेरे से सहमत होंगे कि कम से कम हरिजन और आदिवासियों के कल्याण के लिये जो हरिजन कल्याण और समाज सुधार का महकमा है, वह तो कम से कम एक हरिजन को ही मिलना चाहिये था, लेकिन उस महकमे पर भी मोहतरमा राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी जी को बैठा दिया गया, जिन लोगों की वजह से आज हरिजनों की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है . . . (व्यवधान) . . .

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : मैं प्रोटेस्ट करती हूं । मुझे इसके लिये सख्त एतराज है, इस तरह की बात जो आप कह रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : सिवाय प्रोटेस्ट के अब आपके पास कुछ बच तो रहा नहीं । सच्ची बात तो कड़वी लगती ही है ।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : वाजपेयी जो है, हमीं लोग अत्याचार करते हैं, यह गलत बात है ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपको इस बात पर भी तसल्ली करनी चाहिये कि इस विषय पर जो बहस हो रही है वह भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा है । आप तो बहस करवाने वाले हैं और आपको इस बात का भी पता है . . . (व्यवधान) . . .

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : आप फैक्ट के ऊपर बात कीजिये ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चालीस साल से आप गांधी जी के नाम पर इस देश पर हुकूमत करते आए हैं । आज गांधी जी की जन्मभूमि में यह हालत है कि 1981-82 और 85 में आरक्षण को लेकर आंदोलन चलाया गया । आप की जुबान बंद हो गयी और आप एक लफ्ज भी नहीं कह पाए । गांधी जी ने अछूत उद्धार के लिए अपना सारा जीवन गला दिया । आप गांधी जी के नाम पर राज तो कर सकते हैं, लेकिन उनके उसूलों और आदेशों को तिलांजलि दे देते हैं । उन गांधी जी ने हरिजन और अछूत वर्ग के लिये अपना सारा जीवन लगा दिया, लेकिन मुझे कहते हुये शर्म महसूस होती है कि यह सरकार आज भी उन हरिजनों की रक्षा नहीं कर पा रही है । मुझे हैरानी है कि रामचन्द्र विकल जी जैसे साथी भी आज चुप साधकर बैठे हैं ।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : मैं बोलूंगा ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप बोलेंगे, लेकिन दबी जुबान में बोलेंगे । महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि आज चर्चा तो हम बहुत करते हैं । जहां-कहीं भी मौका मिलता है हम हरिजनों उत्थान

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

की बात करते हैं कि हरिजनों को अधिकार दिये जायें, हरिजनों के साथ भेदभाव नहीं बरता जाय, लेकिन अभी तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनायें लागू की गयीं हैं, हरिजन उत्थान पर एक परसेंट रुपया भी खर्च करने की कोई योजना नहीं बनायी गयी है। आज हम गांवों में जाकर देखें तो पायेंगे कि गांवों में बसने वाले लोगों को कोई सुख-सुविधा नहीं है। हमारी योजनायें ग्रामोन्मुखी होनी चाहिये थीं, लेकिन नहीं हैं। आज गरीब और अमीर के बीच में दरार पैदा की गयी है। आज राज करने वालों ने पूंजीपतियों के साथ मिलकर गांवों के रोजगार छीन लिये हैं। पहले गांव में जो मोची जूते बनाते थे, अपना रोजगार किया करते थे आज इन कांग्रेसी दोस्तों की वजह से बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट्स – बाटा और लिबर्टी वालों की फैक्ट्रीज लग गयी हैं और गरीब हरिजन बेकार हो गये हैं। उनके हाथ कट गये हैं। महोदय, अंग्रेज की यह नीति थी कि इस देश के कारीगर के हाथ काट दिये जायें ताकि वह काम न कर सके। और मान्चेस्टर के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिले। इस तरह ढाका की मलमल बनाने वाले बेसहारा हो गये। लेकिन इन्होंने (कांग्रेसियों ने) हाथ काटने के बजाय उन गरीबों के पेट काट लिये। आज बात तो हरिजनों और गिरिजनों के उत्थान की की जाती है लेकिन उनके व्यवसाय चौपट किये जा रहे हैं। आज सारे भारतवर्ष में 75 हजार हैक्टेयर भूमि सरप्लस हो चुकी है लेकिन सिवाय एक हरियाणा स्टेट के कहीं भी हरिजन को उसकी जमीन नहीं मिली है। सिर्फ हरियाणा में पूरी तरह से सारी-की-सारी सरप्लस भूमि तकसीम हुई है जबकि बिहार में जो रोज कांड हो रहे हैं उसके पीछे जमीन का ही एक झगड़ा है। मैं अगर आपको सुनाने लगूं तो उसमें बहुत समय लगेगा लेकिन बिहार में सन् 1988 में हरिजनों के साथ किस प्रकार के जुल्म हुये हैं, यह मुझे बताना पड़ेगा। बिहार में सन् 1988 में जहांना-बाद नोनही नगवा के 17 हरिजनों को कत्ल कर दिया गया। वह भी महज जमीन की बात को लेकर। मोहल्ले के मोहल्ले में आग लगा दी गयी और 17 हरिजनों की मौत हो गयी कारण जमीन का विवाद और न्यूनतम मजदूरी थी। आज अगर सारे भारतवर्ष में कहीं सबसे ज्यादा मजदूरी किसी प्रदेश में मिलती है तो मुझे कहने में गौरव महसूस होता है कि वह हरियाणा प्रदेश है जहां कि सवा 19 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार की कोई घटना न तो घटी है और न घटेगी। यह ज्यादातर घटनायें कांग्रेस शासित प्रदेशों में घटी हैं क्योंकि उन में जागीरदारी निजाम प्रचलित है और राज करने वाले वे लोग हैं जो उन पर कब्जा कर रखना चाहते हैं। अब तो उन्होंने यहां तक कर लिया है कि बूथ कैप्चरिंग कर के वोट ले लेंगे।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : वह तो आप लोगों ने कराया। चार हजार आदमी हरियाणा से हरे कपड़े पहनकर डंडे लेकर गये और बूथ कैप्चरिंग की।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हरियाणा वालों ने एक काम किया कि बंदूक के बल बूते पर जो लोग बूथ कैप्चर करने गये थे उनकी जमकर पिटाई की।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : तो आपने स्वीकार किया ... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इस प्रकार से, उपसभापति महोदय, अरवल के अन्दर 1986 में जमीन के विवाद को लेकर के 22 हरिजनों की हत्यायें हुई हैं। यह तो सरकारी आंकड़े हैं लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि 100 से भी ज्यादा लोग मरे होंगे। इन हालात में, जबकि तथ्य यह है कि भूमि हरिजनों को सरकार द्वारा प्रदान की गई थी उसके कब्जे को लेकर के यह विवाद खड़ा हुआ। कन्सारा में 1986 में 14 हरिजनों की हत्यायें जमींदारों द्वारा की गई। विवाद का कारण जमीन था।

श्री धरनीधर बासुमतारी : हरियाणा में।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं, बिहार प्रदेश के केसेज हैं। जिला बुन्दका, ग्राम भांगी में 19 आदिवासियों, जिनमें एक भूतपूर्व सांसद भी शामिल था, की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। विवाद का कारण था कि आदिवासियों की जमीन जिस पर हत्यारे ने कब्जा कर रखा था, जब आदिवासी उसे लेने पहुंचे तो हत्यारे ने उन्हें पिटवाया और पुलिस की

मदद से इन आदिवासियों पर यह जुल्म और अत्याचार करवाया। पीपरा (बिहार)– यहां पर 19 आदिवासियों को जिन्दा जलाया गया। डाल्टनगंज (बिहार)– यहां पर चार आदिवासियों की भूमिपतियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हादसे का कारण भी जमीन थी। जमीन आदिवासियों को सरकार द्वारा दी गई थी लेकिन भूमिपतियों ने कहचरी से स्थगन आदेश लिया और इन आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने से वंचित करने पर गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश (यू०पी०), कफ। मे 18 हरिजनों की ऊंची जाति के लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारण था कि ये लोग हरिजन बारात में जलूस में हाथी और घोड़े पर क्यों सवार थे। आज इस देश का गरीब अगर कहीं से, किसी का हाथी और घोड़ा मांग ले तो आज भी इस देश में ऐसी व्यवस्था मौजूद है कि . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हाथी पर नहीं वह टट्टू पर सवार थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : टट्टू पर भी सवार हरिजन इस देश के लोगों को बर्दाश्त नहीं। जिला मैनपुरी, ग्राम देहुली – यहां 23 हरिजनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साधुपुर, जिला मैनपुरी – यहां 14 हरिजनों को ऊंची जाति के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। रामपुर – यहां 11 हरिजनों की हत्यायें हुई।

महाराष्ट्र— डा० अम्बेडकर के नाम पर आज भी ये बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन डा० अम्बेडकर के नाम पर, जब शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे उन्होंने एक विश्वविद्यालय का पत्थर रखा था इस बात को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया क्योंकि डा० अम्बेडकर का नाम उन्हें नहीं सुहाता। डा० अम्बेडकर के नाम पर वह वोट तो ले सकते हैं लेकिन उनके नाम पर कोई विश्वविद्यालय हो ताकि इस देश के गरीब हरिजन थोड़ी सी अपने मन की तसल्ली कर लें, यह बात उनको भाती नहीं है। हो सकता है अब फिर से महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आने के बाद शायद अब वे इस बात पर गौर करें।

डा० एम० हाशिम किदवई : (उत्तर प्रदेश) : यह शिव सेना किसकी है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह शिव सेना, यह लाल सेना यह आप लोगों की खड़ी की हो सकती है।

और तो और, उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां इस देश में और बापू के देश में आज भी पुरी के शंकराचार्य जो मन में आए, जिस प्रकार के कानून बना सकता है और रोज अखबारों में वक्तव्य देते हैं तो इस प्रकार का व्यक्ति जो इस प्रकार के कानून बनाए कि मंदिर में जाने वाला हरिजन रुद्राक्ष की माला पहनेगा, घास की माला पहनेगा या और अनेक प्रकार की पाबन्दियों को लागू करने के बाद ही वह मंदिर में दाखिल होगा, तो आज इस प्रकार के आदमी की कोई अर्थी जलाने की भी जुर्रत नहीं कर सकता है। यह कांग्रेस पार्टी के लोग कानून को बना सकते हैं लेकिन इस किस्म के आदमी पर, जबकि उनके अपने मंत्री भी, जो मंत्री हैं योगेन्द्र मकवाना, खुले आम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और अनटचेबल्टी एक्ट के अन्तर्गत बिना गवाही के ही मुकद्दमा चल सकता है लेकिन आप गिरफ्तारी करने में भी सफल नहीं हो पाते हैं। यह संविधान का भी उल्लंघन है। हर स्तर पर ये अपनी राजनीति चलाने की बात करते हैं चाहे हरिजन की आवाज बुलन्द करने की बात हो, चाहे हरिजन को दबाने की बात हो, चाहे मन्दिर में प्रवेश करने की बात हो और चाहे कुंए से पानी भरने की बात हो। हर मामले पर अपनी राजनीति चलाने की बात करते हैं। हर मामले पर यह देखते हैं कि कैसे वोट ज्यादा मिल सकते हैं, किस प्रकार से सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है। इसी बात को लेकर लगातार 40 साल तक इन्होंने जात-पात ला करके लोगों को एक-दूसरे से लड़वाया। गरीब को और गरीब इसलिए बनाने की कोशिश की ताकि वे अपने भरण-पोषण की ओर ही अपना ध्यान लगाये रखें। यह 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं लेकिन हालात 16वीं सदी जैसे पैदा कर रहे हैं। सामंतशाही युग में जो बातें हुआ करती थी उसी

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

युद्ध का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है । मैं आपके माध्यम से सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम इन हरिजनों की बात को लेकर कोई वाइट पेपर तो जारी करें ताकि पता लग सके कि इन्होंने क्या किया और हरिजनों के साथ किस प्रकार के जुल्म होते रहे हैं इस देश में । मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप चेयर पर बैठे हुए हैं, ये लोग मानेंगे, नहीं, मैं आपके माध्यम से बात कर सकता हूं कि अगर ये समय से नहीं चेते क्योंकि जमीन इनके पांव से खिसकती जा रही है, हरिजन की राय के बलबूते पर 37 साल तक देश ; हुकूमत करते रहे अब तो कम से कम आने वाले चुनाव को ध्यान में रख कर थोड़ा-सा सोच लें नहीं तो हरिजन जो अब निकलते जा रहे हैं अब आगे आने वाले चुनावों में ये गिन-गिन कर बदला लेंगे इस बात का इन को ध्यान रखना चाहिए । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति, इस सदन में हरिजनों पर हो रहे अत्याचार पर बहस चल रही है और अनेक आंकड़ों के जरिये, संख्याओं के जरिये, उदाहरण के जरिये यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं । हरिजनों पर अत्याचार हुए लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि इन अत्याचारों को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया । कांग्रेस सरकार ने हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कोई आवश्यक कानूनी कार्रवाई न की हो ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता किसी भी प्रदेश का हो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर कोई घटना ऐसी नहीं बता सकते, कोई आंकड़े नहीं दे सकते जहां पर सरकार ने मजबूती के साथ कानूनी कार्रवाई न की हो । कोई भी मुलजिम कानूनी गिरफ्त से बच नहीं पाया । यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं । मैं खुद ऐसे ही इलाके से आता हूं और पूरे हिन्दुस्तान भर में घूमता रहा हूं इसी काम के लिए । जहां-जहां हरिजनों पर अत्याचार हुए उनके लिए मैंने आवाज उठायी है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार वह सरकार है कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसका मन जब हिन्दुस्तान में आजादी की जंग चल रही थी तो दो बात में लगा रहता था एक तो अकलियत के लिए दूसरे हरिजनों के लिए । आप जानते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में दूसरे नेताओं के साथ मिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध चल रहा था तो हरिजनों की गली-गली में जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर उन्होंने उनका सहयोग लिया । हरिजन बस्ती में जाकर रहे । और आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार उनके लिए कुछ करना नहीं चाहती । यह बात बिल्कुल गलत है । यह समस्या सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है । इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज में बदलाव आया है । मैं कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस सरकार पर दोष डालते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इसी सरकार ने कमीशन बैठाया । यही नहीं हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक मीटिंग की उसमें जो हमारे हरिजन नेता थे उनको बुलाया । उसमें तय किया कि उनका एक सचिव होगा । केन्द्रीय स्तर पर एक सचिव लैवल का अफसर होगा । आप जानते हैं कि उनके लिए कानूनी सैल भी बने हुए हैं हर स्टेट में, हर जिले में । कोई भी जुल्म या अत्याचार उन पर होते हैं तो कानूनी निगाह से वे ओझल नहीं हो सकते । अभी चौटाला जी कह रहे थे जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर अत्याचार हुए हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जहां रहता हूं मैं वहां देखता हूं और हरियाणा में भी आकर देखता रहता हूं कि कैसे इन लोगों पर अत्याचार होते हैं । आप बात करते हैं वोट की । बूथ कैपचरिंग आप कराते हैं । डंडे पर वोट आप लेते हैं । आपके नेताओं ने बूथ कैपचरिंग किया, हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बूथ कैपचरिंग और डंडे की डेमोक्रेसी चली है यह

इन्हीं की पार्टी ने चलाई है । यह बात यह नहीं कह सकते कि हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ । मैंने देखा है कि हरियाणा में हरिजनों को कुंए पर नहीं जाने देते । हरिजन महिलाओं को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है क्योंकि ये आम कुओं से इनको पानी नहीं भरने देते । आज भी हरिजन महिलाएं सुबह पानी के लिए निकलती हैं तो दोपहर को पानी लेकर लौटती हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आक्षेप लगाये जाते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार होते हैं । इस संबंध में कांग्रेस पर आरोप भी लगाए जाते हैं । लेकिन असल बात यह है कि कांग्रेस सरकार का मन बिल्कुल साफ है, कांग्रेस का मन साफ है । कांग्रेस के कारण ही हरिजनों में जागरूकता आई है । हरिजनों के उत्थान के लिए जितने काम कांग्रेस सरकारों ने किए हैं उतने किसी भी सरकार ने नहीं किये हैं । कांग्रेस ने हरिजनों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई । उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आई० आर०डी० की योजना बनाई । हरिजनों को आज जो सहायता मिल रही है वह कांग्रेस की ही देन है । हरिजनों को बैंकों से लोन दिया जा रहा है । सारे हिन्दुस्तान में हरिजनों में जागरूकता आई है । श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि इस समस्या के आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलू है । लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे गांवों के अन्दर जो बड़े-बड़े किसान हैं, जो पूंजीपति और बड़ी जातियों के लोग हैं जो पहले बेगार लेते थे, जिनकी सेवा में हरिजनों के परिवार लगे रहते थे, वे आज हरिजनों पर ज्यादा अत्याचार करते हैं । आज हरिजन उनका काम नहीं करता है । मैं डाक्टर साहब से कहना चाहता हूं कि अगर वे इस समस्या का एनालिसिस कराएं तो उनको पता चलेगा कि हरिजनों पर वे ही लोग अत्याचार करते हैं जो मर्यादादार हैं हमारे संविधान में सब को समानता का अधिकार दिया है । कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने ही हरिजनों को शिक्षा दी है । उनमें राजनैतिक चेतना जागृत की है ।

उपसभाध्यक्ष जी, जब हरिजनों पर अत्याचारों की बात की जाती है तो मैं देखता हूं कि विरोधी पक्ष की तरफ से अत्याचारों की बात तो की जाती है लेकिन कोई ठोस सुझाव नहीं आता है । कोई ठोस सुझाव उनकी तरफ से नहीं आता है । मैं तो पहली बार ही इस हाउस में आया हूं । इस समस्या के सामाजिक, आर्थिक और बराबरी के पहलू भी हैं । आज हमारे समाज में जो असमानता है, जो पिछड़ापन है वह हरिजनों की खुद की देन नहीं है, आज हरिजन जाग गये है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जगाया है और उनको जागरूक बनाया है । हरिजनों में आज जो नई स्फूर्ति और जागरूकता आई है वह कांग्रेस सरकार के कार्यक्रमों के कारण ही आई है । आज वे अपने अधिकारों के लिए जलूस निकालते हैं । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे लोगों ने क्या हरिजनों के अधिकारों के लिए कोई जलूस निकाला है ? कोई आन्दोलन किया है ? पुरी के शंकराचार्य ने हरिजनों के विरुद्ध इतनी बड़ी बात कही तो क्या हिन्दू महासभा के लोगों ने, आर०एस०एस० के लोगों ने कोई प्रदर्शन किया, सड़कों पर कोई जलूस निकाला । स्वामी दयानन्द जी ने हरिजनों के लिए काम किया । स्वामी अग्निवेश ने जरूर इस प्रश्न को उठाया है । कम से कम एक आदमी तो है जिसने इस प्रश्न को उठाया है, यह एप्रिसिएशन की बात है । पुरी के शंकराचार्य ने जब यह कहा कि हरिजनों की नागरिकता खत्म की जानी चाहिए तो उन्होंने हमारे संविधान के खिलाफ काम किया है । इसका सब को विरोध करना चाहिए था ।

अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों को यह आशंका है कि अगर हरिजन धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हम माइनारिटी में हो जाएंगे । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों पर इतने अत्याचार हुए, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो अब वे अपना धर्म परिवर्तन क्यों करेंगे ।

[श्री हरि सिंह]

उसने अपना नाम श्याम और मुरारी रखा । वह सदियों से हिन्दु धर्म को मानता आया है । हिन्दु धर्म के अंदर कई बार रिवोल्यूशन आया, परिवर्तन आया लेकिन हरिजनों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और न कभी करेंगे । कुछ राजनैतिक लोग उनको भड़काना चाहते हैं लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं होता । उपसभाध्यक्ष जी, हरिजन जो है उसके दिल में हिन्दु धर्म की भावना बैठी हुई है । भले ही उसका तिरस्कार हुआ है लेकिन वह अपना धर्म नहीं छोड़ेगा । हरिजन लोग निरक्षर नहीं हैं । कांग्रेस की जो पालिसी है, जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं और जिस तरह से वे चल रहे हैं उसको वह जानता है । जो लोग सोचते हैं कि हरिजन लोग कांग्रेस से अलग हो जायेंगे यह उनका ख्वाब होगा । उन पर अत्याचार इसलिये होता है क्योंकि उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकनन्द ने उनके उत्थान के लिये काम किया । सवर्ण, ब्राह्मण और दूसरी जाति के लोगों ने भी उनके लिये बड़ा काम किया है । हरिजनों के बीच में कुछ संस्थायें काम कर रही हैं वह उनके लिये नयी नयी स्कीमें बनाती हैं । उनके लिये कमीशन भी बनाया गया है जो हरिजनों की देखभाल करता है । यह उनके सुझाव पर बना है ।

इन अल्फाज के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हरिजनों पर अत्याचार करेंगे तो हरिजन घबरायेंगे नहीं, वह समानता के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे । उनकी सुरक्षा, उनके उत्थान की जिम्मेदारी केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बल्कि उन सब लोगों की है जिनके खयाल में सब बराबर हैं ।

SHRI SURJDAS DAS GUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I refuse to believe that the question of atrocities on Harijans, that is on the backward sections, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Adivasis together, is only a caste problem. Of course, the caste problem is there; of course, the social bondage is there. But there is also an economic basis. The recent feature of the rural scene of the country as a whole is that there has been a persistent increase in the number of atrocities on Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Adivasis. Now the point is there can be no two opinions that the atrocities are on the rise. What is the reason for it and what should be the remedy and what should be the steps to be taken by the Government? According to me, this category of people whom we call untouchables, Harijans, Adivasis, Scheduled Castes and Scheduled Tribes all belong to a particular economic category. In our nomenclature that particular class from economic point of view is agricultural workers and marginal farmers. They sell their labour power to earn their bread because they are mostly landless and they do not have any other opportunity to earn their levlihood. According to the statistics of a study team appointed by the Consultative Committee of the Ministry of Labour of which I was a member—we had compiled a report after going to about 100 villages in 8 States in the country—according to our calculation which also tallies with the Census figure, this category of people number of about 15 crores. These 15 crores of people are subjected to torture, atrocities, firing, persecution, hunger and all other forms of oppression. Now the question is: Is it on the increase? Yes, it is on the increase.

6.00 P.M.

Now, the question is this: Is it on the increase? Yes, it is on the increase. According to the Government's statistics, which my previous speakers would have quoted, it is on the increase and the increase is also in some specific areas and States. I do not go into the statistical jugglery; but it is on the increase. But if we go into the statistical detail, then what is the conclusion? In 1986-87, Uttar Pradesh was the State where the number of atrocities was the highest and West Bengal was the State where the number of atrocities was the lowest. What is the reason for that? Here in lies the reason for the increase in the

number of atrocities and the material and economic basis for the atrocities on this section of the people. Everybody knows that there has been no land reform in Uttar Pradesh and everybody knows that there have been radical land reforms in West Bengal. Therefore, the unsolved problem of land reforms stands out as the material and economic basis of the bondage in the rural areas and in those places where land reform has not taken place. There has been an increase in the awareness of the people, the downtrodden people, having no land and this increase in awareness is churning out a new mood which has given rise to a situation where these downtrodden people tend to assert their own rights. They are intolerant of the life that they have been left to live with; they are intolerant of the economic situation which does not give them land; they are intolerant of the low wages; and they are intolerant of the lack of job opportunities. Therefore, this intolerance and the new mood that has been churned out among them are the reasons why they are trying to rise in revolt. There is a mood to come up; there is a mood to revolt; there is a mood among them to assert their rights. But this new mood is sought to be suppressed brutally and physically by the section having affluence, having property. Where there is an increase, it is not only because the zamindars have turned more brutal nowadays. But it is because the people who had been subjected to brutalities refuse to accept those brutalities and they fight to break the bandoge. This new mood among the agricultural workers, among the Harijans and the Adivasis, among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, is also inviting an atrocious counter-offensive from the people who are having the land. Therefore, the number of confrontations is on the rise, the number of atrocities is on the rise and the number of cases of rape and murder is on the rise.

Sir, may I tell you what happened in Arwal? It is not that some people were found upon whom the police opened fire. That is a simplistic explanation. The real explanation is that the people had occupied the land, the surplus land, the illegal land, and after occupying that land, they built their houses and the old owner who came to know of the fact, took the help of the police and made the police fire on them. It is because of that firing arising out of the occupation of the illegal land by the landless that a situation like this was created. I have another explanation by the landless that a situation like this was created. I have another explanation. In Bihar, in Sarora, fifty armed men raided a village, looted the Harijan houses, took away the standing crop. I underline the words "standing crop". They have cultivated the land. Having cultivated the land, having forcibly cultivated the surplus land, held illegally by the landlords and overlooked by the Government, they developed the crop After the crop had come up, these people came with the help of the police, looted the houses of these poor people and took away the standing crop.

Then, again, it is a case of atrocity let loose by the illegal owners of the surplus land. It is not only in the Congress ruled States that such atrocities take place. I hope my friends on this side will bear with me if I give the example of Andhra Pradesh. In Karamchadu village of Guntur district, only recently six people were killed and 12 injured. What was the reason? The reason was that there was a movement for land occupation. And the incident occured because there was a retaliation. Then, let me narrate again another incident. On the 17th July this year in Bihar in Singhbhum district the brother of Laru Janko, a leading member of the AITUC, who had been carrying on a campaign for the establishment of the rights of women head-loaders—his brother was attacked and killed. When? When he was coming back home after completing the agricultural work. And he too was killed in front of his wife and father. The wife had to go to 'thana' in the dead of night, crossing a distance of 16 kilometres to tell the police that her husband had been murdered. The policemen came to the spot next day at 2 in the afternoon. When the police was told that they should go to the spot where her husband had been killed and

[Shri Gurudas Das Gupta]

the dead body was still lying the police quietly said: we do not have that sufficient number to go to that place, we shall come tomorrow to take charge of the dead body. The murder took place on the 17th. The police came on the 18th afternoon and went away. On the 19th, 48 hours after, the police came. And when they had gone to get the dead body, the dead body had disappeared, because the killers not only murdered the man but took away the dead body just not to keep any sign of the murder. Even till now no arrest has been made. Why this murder? Because Laru Janko had been leading the struggle of women head loaders. Laru Janko had compained to the Ministry. He had written me a letter and I had taken that letter to the Minister of Labour. And it is the Minister of Labour who had sent a women officer there. Miss Neena Gupta had gone there and she had made a report. And the report categorically stated that sexual atrocities took place on the Adivasi women head loaders. And that report has been sent back to the Bihar Government. But the Bihar Government is sitting tight over the report for the last one year. Therefore, it is a case of retaliation—retaliation for economic reason, retaliation because she had the courage to write to the Labour Ministry, retaliation because the Adivasis of that village had the courage to occupy the land. Therefore, this is the economic reason. That is the reason why there is the largest number of atrocities in U.P. I do not castigate any particular party. But the people who are close to the political power in U.P. are having illegal land. And that land has not been taken away and the land has not been distributed. According to our estimate the country has 2 crore hectares of surplus land which you had to distribute. During the 40 years of freedom you have distributed only 22 lakh acres, 44 lakh acres. Not even 20 per cent of it has been distributed. The people who are having illegal land are the real gangsters, the real fountain-head of reaction in the rural areas. Therefore, rape, atrocity and murder are the highest in U.P.

Why is it the least in West Bengal? It is the least in West Bengal besause land reforms have been carried out, because the balance of power in the rural areas had radically altered in favour of the agricultural poor, because the State apparatus has no bias against the rural poor. It is in those places where the atrocities are the most, where land reform had not taken place, the balance of power in the rural areas is heavily loaded against the toiling poor and the State machinery has a definite bias against the toiling poor in favour of the landed gentry. This being the reason, if you are not to shed crocodile tears, if your lamentation is not only for a parliamentary deliberation, if you mean business and if you want to carry out the dreams of Mahatma Gandhi, then the first thing that you have to do is to bring an end to atrocities to put and to the possession of illegal land by the landed aristocracy. Land reforms have to be carried out to liberate the agricultural poor from the bandage of starvation and the bondage of under employment. You talk about IRDP and NREP. I had been on the Committee appointed by the Ministry of Labour. We had gone to the villages. Our report has been unanimous and most of the Members belonged to the ruling party. W ehad said that the impact of the anti-poverty programmes such as IRDP, NREP and RLEGP has been marginal or nominal. It has not been able to bring about an appreciable change in the material living conditions of the agricultural poor. Therefore, Sir, if you want to end the atrocities, then you have to end the mononoly possession of land. Distribute the land properly If you want to end atrocities, then please enact protective laws for the agricultural poor. It is a sad commentary on the performance of the Government. The agricultural poor of the country are not protected by any law. You do not have any law to protect the agricultural workers. You have laws for the industrial workers. You have laws for every other thing of the country But this country does not have any law for the agricultural workers. (*Time Bell rings*) The impact of the anti-poverty programmes has been minimal and the

job opportunities for the agricultural landless workers and adivasis are very low. It is the dependence of the agricultural poor on the zamindars to get jobs, that makes them helpless. We have calculated that in the non-irrigated areas, an agricultural workers gets work only for 70 days in a year. For the rest of the period, they have to depend on the dole to be given by the zamindar charging very high rate of interest. In the irrigated areas, the span of work opportunity for the agricultural workers on agriculture is not more than 120 days. Therefore, this economic dependence of the agricultural poor, this economic dependence of adivasis, Harijans, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes makes them an easy target of abject exploitation by the landed interest. (*Time Bell rings*) Therefore, Sir, the disciples of Mahatma Gandhi who are said to be running the Government should be true to their promise. There should not be gap between the cup and the lip. Let there be a new law to protect the agricultural workers. Let the anti-poverty programmes and scheme be enlarged. Let the investment for anti-poverty programmes be enlarged. Let the land be distributed. Only that can bring about a change in the co-relation of forces in the country-side. Otherwise, you will only be shedding crocodile tears and that too in an empty house. (*Time Bell rings*) I am coming to an end.

Lastly, I can tell you one thing. The world cannot go on in the old ways. The world shall not go on in the old way. India is a part of that world. The agricultural workers will not live in the old way. The growing sense of intolerance, the change in their mood and the awareness in their consciousness is sure to bring about more confrontation, more clashes and more such incidents, if sense does not prevail on the Government. In the past, only the agricultural poor used to be murdered Now retaliatory actions are taking place. You should be aware of it. If you want to maintain place, then come out with specific proposals that bring about a change balance of power, balance or co-relation of forces in the countryside.

I hope, it will not be only shedding of crocodile tears but someting will emerge from the discussion and the Government shall take lessons not to get only votes in the coming election but will appoint a National Commission on Agricultural Labour, not a Commission which does not sit even for a single day in a year It is a ritualistic approach. If you don't give up the ritualistic approach, I tell you, the days are numbered for having tranquility in the countryside. Therefore, please take lessons from all that is happening in the countryside. Thank you, Sir.

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के कुछ भागों में हरिजन तथा आदिवासियों के संबंध में होने वाली चर्चा पर मुझे बोलने का जो आपने मौका दिया उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं ।

हमारे भारतवर्ष की आजादी की लड़ाई में हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर समाज ने हिस्सा लिया । हमारी भारत माता जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, इन बेड़ियों को काटने में हर उस वर्ग का योगदान है जो भारत का उच्च से लेकर निम्न वर्ग था । हमारे हरिजन और आदिवासियों ने भी इस देश को आजादी की सांस दिलाई है । इस सरजमीन को अपने खून से सींच कर वतन की खाक को भी अपना लहू पिलाया है । इस जमीन से उन्हें भी बहुत बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं । शहीदों की उस समय की यह आवाज थी—

वतन की खाक मुझे एड़ियां रगड़ने दे ;
मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा ।

उन्हें पूर्ण विश्वास था, यकीन था कि हम इस देश के वासी हैं, हमें जो भी सुरक्षा, सहारा मिलेगा तो इसी देश, इसी मुल्क से मिलेगा, यही देश हमारी मातृ-भूमि है । हमें यह मालूम है कि मां अपने बच्चों से उसी बच्चे को ज्यादा चाहती है, जो सब बच्चों से कमजोर, बीमार, सबसे ज्यादा क सु और सबसे ज्यादा सब वाला होम

[कुमारी सईदा खातून]

उसी तरह हमारी मातृ-भूमि का सबसे प्यारा वही है जो सबसे ज्यादा दबा, दलित, गरीब और कभी न कुछ मांगने वाला है । मेरा इशारा हमारे हरिजन, आदिवासी भाई-बहनों की तरफ है । हमें यह देखकर खुशी होती है कि हमारी पार्टी ने जब इस देश का शासन संभाला तो इस देश को सर्वप्रथम धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया और अपना संविधान बनाया तो उसके निर्माताओं में ब.ब. अम्बेडकर को ही संविधान के निर्माण की प्रमुखता सौंपी । इस संविधान में इन पिछड़े वर्गों को, हरिजन आदिवासियों को, दस-दस वर्ष के लिए रिजर्वेशन दिया । उन्हें मालूम था कि हमारे देश का यह वर्ग अभी विकलांग है, इसे रिजर्वेशन रूपी बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी और हमारी सरकार ने इन्हें सब वर्गों से ऊपर हर तरह की सहूलियत, सुरक्षा प्रदान की ।

महोदय, हमारे विरोधी भाई हमेशा यह बोलते हैं कि हम या हमारी पार्टी या हमारी सरकार ने हरिजन, आदिवासियों को इतना ज्यादा रिजर्वेशन दे दिया है कि इन लोगों को जो बैसाखियां दी गई हैं, उसके सहारे ये लोग चलने के बजाय दौड़ने लगे है । लेकिन अभी भी हमारे देश में, हर प्रांत में ऐसे क्षेत्र है, जहां पर इन वर्गों को कोई सहूलियत नहीं मिल पा रही है, कोई सुरक्षा नही मिल पा रही है । इन्हें हर क्षेत्र में अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है । हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, जिस जिले की मैं रहने वाली हूं, उस जिले के बिरसा क्षेत्र में मोहनपुर ग्राम-पंचायत के 18 गांव हैं, जहां आज भी बिजली नहीं पंहुची है, गांवों के लोगों को आटा पिसाने 32 किलोमीटर जाना पड़ता है, सड़क दलदल जैसी है, कोई अस्पताल नहीं है ताकि वहां पर फैले ग्वाइटर मर्ज के लिए कोई उपचार हो सके । औरतें डिलीवरी के लिए शहर जाते-जाते रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं । बच्चों की शिक्षा के लिए जो यूनीफार्म और किताबें, दलिया दिया जाता है, उसे वहीं पर अधिकारी वर्ग बंटवाने के बजाय बेचकर खा जाते है । उनके छात्रावासों की हालत जानवरों की कोठी से भी बदतर है जितनी भी सहूलियतें आदिम जाति, हरिजनों को दी जाती हैं, केन्द्रीय शासन के द्वारा जो भेजी जाती हैं, हमारा कर्मचारी वर्ग इसे उन तक पहुंचने ही नहीं देता । हमारा शासन उनकी शिक्षा के लिए जो कदम उठा रहा है, वह सराहनीय हैं । आदिम जाति, हरिजनों के उत्थान के लिए हमारी सरकार ही है, जो करोड़ों रुपये उन पर खर्च कर रही है, उनकी रोजगारी, मजदूरी भी बढ़ाई गई है । उन्हें हर तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है । उनके लिए आवास की सुविधाएं दी जा रही हैं । लेकिन कुछ लोग उनके हक, उन तक पहुंचने नहीं देते । जितने प्रोफेशनल धंधे थे, रेशेवर धंधे थे वह आज बिजनेस के नाम से जाने जाते हैं—जूतों की फैक्ट्री, फर्नीचर फर्म आदि । आजकल हम देखते हैं कि एक हरिजन का बेटा आई०ए०एस० बनता है, डाक्टर और इंजीनियर बनता है । आज हम देखते हैं कि एक सवर्ण का बेटा बाटा की दुकान पर बैठकर जूते बेचता है । ये सब बातें हमें अपनी सरकार में देखने को मिलती हैं । हमारी सरकार के सामने जाति और धर्म का झगड़ा नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारी सरकार में, धर्म-निरपेक्षता की जो बात संविधान में कही है, वह पूर्णतः सही है । हमारा देश धर्म-निरपेक्ष है । यह तो विरोधियों की चाल है कि किसी भी धर्मों के बीच में धर्म के नाम पर लड़ाई कराई जाये और फिर भोली-भाली जनता को बहका-कर शासन से, पार्टी से दूर किया जाये । अब इन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी तो अपनी तरफ से सब काम आदिवासी, हरिजनों के लिए कर रही है, लेकिन उसके काम करने के बाद भी उसे किस तरीके से बदनाम करें, यह इनकी चाल है ।

आज 40 वर्षों में, हिंदुस्तान में, जो सुधार हुआ है वह सभी को विदित है । पहले हम देखते थे कि गांव के गांव गुल्ली के तेल में टिमटिमाते थे और दीये की

धीमी-धीमी रोशनी किया करते थे, वहां बिजली नहीं थी, किसी ने कभी रेडियो, कार, टेलिविजन का सुख नहीं देखा था। दस गांवों में एक के पास अगर किसी लड़के के पास सायकिल हो जाती थी तो उसे बहुत धनवान इन आदिवासी क्षेत्रों में समझा जाता था। लेकिन आजकल साइकिल के बजाय मोटर साइकिल, कार टेलिविजन इन लोगों के बीच उपयोग किया जाता है। तरक्की इन क्षेत्रों की बहुत हुई है। हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और अब भी करना है। हमें तो अपने देश की जनता का ख्याल करना है। उनका सुख-दुख में साथ देना है। आदिवासी, हरिजनों के लिए अभी तक हमने जो किया है वह नहीं के बराबर है। हमें सही में इन क्षेत्रों की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना है। हम पर, हमारे शासन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा शासन यह जिम्मेदारी जरूर निभायेगा और गरीबों, आदिवासियों और हरिजनों पूर्ण विश्वास की तरफ अपना ध्यान और ज्यादा लगायेगा। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि अब हरिजनों और आदिवासियों के विकास में लग जाने में ही हमारा गौरव है। हमें उन्हें रोजगार के अवसर देना चाहिए। उन्हें जमीन के पट्टे दिए जाने चाहिएं। मकान बनाकर दिए जाने चाहिएं लघु उद्योग में छोटे-छोटे धन्धे दिए जाने चाहिएं और उनको लोन देने की प्रक्रिया बहुत सरल और ईमानदार बनायी जानी चाहिए। उनकी छात्रवृत्ति य प्राइमरी और मिडिल से लेकर कालेज लेवल तक जो अभी भी दी जाती है उसे बढ़ाना चाहिए। मेरा एक सुझाव यह भी है कि अगर एक हरिजन और आदिवासी बच्चे को आप पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो उसके माता-पिता पर इसका भार बढ़ जाता है क्योंकि यह बच्चे उनके माता-पिता को आमदनी का जरिया रहते हैं। वे अपने बच्चों से मजदूरी करवाकर अपनी जिन्दगी गुजारते हैं। इसलिए एक बच्चे के बदले आदिवासी और हरिजन मां-बाप को कुछ रुपया या गिफ्ट दिया जाये तो वे अपने बच्चों को पढाई पर ध्यान देंगे। आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल शाप्स भी भेजी जानी चाहिए तथा उन में राशन के अलावा दवाइयों की भी सहूलियत दी जाना चाहिए और इन आदिवासी क्षेत्रों में, मेरे ख्याल से मजदूरी रुपये के रूप में पूरी न देकर उन्हें अनाज और पौष्टिक आहार के रूप में, कपड़े के रूप में देना अधिक बेहतर है क्योंकि अधिकतर आदिवासी अपनी आमदनी का हिस्सा शराब पीकर खर्च कर डालता है और उसके परिवार के लोगों को बचाने बाकी दिन मुसीबत में गुजारने पड़ते हैं।

महोदय, हमें मालूम है कि जीवन सभी प्राणियों के लिए मानव जाति के लिए वरदान है। इस वरदान का सही अर्थ खोजकर दूसरों के जीवन को सुखमय और सुफलित बनाना ही मानव पुरुषार्थ है और हमें फख्र है कि हमारी सरकार और हमारे देश के हरदिल अजीज प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी इस मानव पुरुषार्थ का सही नमूना साबित हो रहे हैं। वैसे तो महोदय, यह कहा गया है कि--

कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है,
आदमी एक सहारा है, खुदा देता है।

हमें उस मालिक ने जब गरीबों का सहारा बनाय है तो हमारा भी फर्ज है कि हम इस सहारे को मजबूत साबित करें।

کی بیٹھا جاتی ہے لیکن ہیر بیٹھ کر رونا چاہتا ہے۔ یہ ہے ہمارے دیش کی بیچ سم کار میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہماری سرکار کے سامنے جاتی اور دھرم کا جھگڑا نہیں ہے۔ میرے نام میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہماری سرکار میں دھرم نرپیکشتا کی بات سودھان میں کہی ہے وہ پورے دل سے مانتے ہے۔ ہمارا دلیش دھرم نرپیکش ہے۔ یہ تو دور دھیوں کی چال ہے کہ کسی بھی دھرموں کے بیچے دھرم کے نام پر لڑائی لڑائی جائے اور پھر اس بھی حساب کو ہتھیار کر سی سے۔ پارٹی کو دوش دیا جائے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس پارٹی کو ایسی طرف سے جب تمام آدمی واسیوں ہر تھوں تیکھے کر رہی ہے لیکن اس کے کام کرنے کے لئے بھی اُسے کسی طریقہ سے بدنام کریں۔ یہ اُنکی چال ہے۔

آج ۴۰ ورشوں میں ہندوستان میں جو سدھار ہوا ہے وہ سبھی کو وِدت ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ گاؤں کے گاؤں بھوکے تیل میں سوتے تھے اور دیئے کی دھیمی دھیمی روشنی کیا کرتے تھے۔ وہاں کھلی نہیں تھی۔ کیسی ہے بھی کھلی ریڈیو۔ کار۔ ٹیلیویژن کا سپنا نہیں دیکھا تھا۔ دس گاؤں میں ڈیرے کے پاس اگر کسی گھر کے پاس سے سائیکل ہو جاتی تھی تو اُسے بہت دھنوان اس آدمی واسی سمجھتے دور میں جاتا تھا۔ لیکن آج کل ہر سائیکل کی جگہ موٹر سائیکل کار۔ ٹیلیویژن اِن گاؤں کے بیچ ایسوسی ایٹ ہو جاتا ہے۔ ترقی ان چیزوں کی نہیں ہوئی ہے۔ ہماری سرکار نے ہوئی ہے اور اب بھی کرتا ہے۔ ہمیں تو اپنے دلیش کی جنتا کا خیال کرنا ہے۔ اُنکا سکھ دکھ میں ساتھ دینا ہے۔ آدی واسی

ہوں۔ اِس صلاح کے لرسا چھیتر میں ہو بن پردھان پنچایت کے ۱۸ گاؤں ہیں جہاں آج بھی بجلی نہیں۔ پینے کے گاؤں کے لوگوں کو آٹھ پندرہ ۳۲ کلومیٹر جانا پڑتا ہے۔ سڑک دلدل جیسی ہے۔ کوئی اسپتال نہیں ہے تاکہ وہاں ہیر جیسے گوانڈ لرس ہیضہ کی ایجاد ہو گئے۔ کورتیں ڈلیوری کیسے ہو جاتے راستے میں ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ بچوں کی شکتی ہے جو بیمار ہو اُنکا ہیں دوا دیا جاتا ہے۔ اُسے وہیں ہرا دھیکاری درگ شوا ہی بھائے جیسے تو گی جاتے ہیں۔ اُنکے چھاترا واسوں کی حالت حاضروں کی کوئی سے بھی بد تر ہے۔ جتنی بھی سہولتیں آدم جاتی ہر تھوں کو دی جاتی ہیں۔ کیندر یہ شاسن کے دوارہ جو بھی جاتی ہیں، ہمارا اگر بھائی درگ اُسے اُن تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ ہمارا استاس اُٹھانا چاہتا ہے جو قدم اٹھایا ہے وہ سراہنیہ ہے۔ آدم جاتی ہر تھوں کے اتھان کیلئے ہماری سرکار جو کروڑوں روپیہ اُن پر خرچ کر رہی ہے۔ اُنکا روزگاری مزدوری بھی بڑھائی گئی ہے۔ انہیں ہر طریقہ سے پروتساہت کیا جا رہا ہے۔ اُنکے لئے آواس کی سویدھائیں دی جا رہی ہیں۔ لیکن کچھ ورگ اُنکے حق کو اُن تک پہنچنے نہیں دیتے۔ جتنے بھی دلال دھندے تھے بیتے ورشوں تک وہ آج ہریجنوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ چوری کی فیکٹری۔ مرچ پیسنے کی فیکٹری۔ آجکل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہریجن کا بیٹا آئی اے ایس بنتا ہے ڈاکٹر اور انجینیر بنتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے سوار

ہونا چاہیے۔ ان بیچاری آدی واسی بھائیوں کی جو زمینیں
غیر آدی واسیوں نے دھوکے سے یا زبردستی لے لی ہیں
ان کو واپس دلانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ ان کے
لیے قرضے کا انتظام ہونا چاہیے۔ ان کے
لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا انتظام ہونا چاہیے۔
ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔
ان کے لیے ہسپتالوں کا انتظام ہونا چاہیے۔
ان کے لیے پینے کے پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔
ان کے لیے رہنے کے مکانوں کا انتظام ہونا چاہیے۔
ان کے لیے سڑکوں کا انتظام ہونا چاہیے۔
ان کے لیے بجلی کا انتظام ہونا چاہیے۔
ان کے لیے ہر قسم کی سہولتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔

ہمارے ملک کی آزادی کو ۳۵ سال ہو گئے ہیں۔ ۳۵ سال
کا عرصہ کسی قوم کی زندگی میں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔
اس عرصے میں ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ ہم نے بہت
کچھ حاصل کیا ہے۔ ہم نے بہت کچھ پایا ہے۔ ہم نے
بہت کچھ کھویا ہے۔ ہم نے بہت کچھ گنوایا ہے۔
ہم نے بہت کچھ بگاڑا ہے۔ ہم نے بہت کچھ بنایا ہے۔
ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھ

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): This is a very important debate today and I take part in this debate with a sense of anguish and sadness. The Government, under no circumstances, can deny that atrocities on Harijans have been on the rapid increase. I do not like to confront the Government on that issue as to whether this number of Harijans have been killed but I am more interested to let the House know the basic reason, the fundamental reason, the material reason for this increase in atrocities on Harijans and other belonging to the weaker sections.

Sir, there is no doubt about the fact *that these atrocities are connected with* the relics of feudalism that still exist in our country. This phenomenon has to be viewed from the same social and economic angle and that special and economic angle is that these Harijans belong to the lowest rung of our society and their *main curse of life is the landlessness and* extreme poverty. I do not like to dish out figures to describe the quantum of their poverty or the massive misery they are subjected to. But there is no way out other than the land reforms. Land reforms is the only answer to the problem, and to my great surprise, the Government today has given a go-by to the programme of land reforms. All measures which are to be carried out under land reforms have been kept under deep freeze. Let me also admit, it is not the Congress-I alone, but same is the case with opposition parties also that in certain areas, I have seen, land reforms to them is nothing but a red rag to the bull. This I have seen during the course of our struggle for the distribution of land. I am not going into that. But, Sir, I want to draw your attention to a very tragic incident that took place recently, and I refer to the tragic incident that took place in Jhanabad district of Bihar on the 16th of June last. The object of my referring to that tragic incident is to rouse the conscience of this House, to make you sit up, to make the ruling party and the Government sit up. If you allow me, I will make the briefest description of the situation. On June 16, the landlords of the village—I can also name the village, that is Nanhidar and Nagavan; these are two villages in Jhanabad district of Bihar; it is not that I am speaking of Bihar or this State or that State but I mention this incident to rouse your conscience—in league with hired goondas and local police shot dead 19 agricultural workers whose age ranged from six months to sixty years. Even a baby of six months was not spread. Sir, Malati, wife of the diseased, Laldeo, made a statement. She said that the landlord, Nawal Sharma, came to Laldeo on the 12th June and asked him to plough his field because the monsoon had set in. Laldeo was an agricultural labourer and *a bonded labourer too. He refused* to go to the field and cultivate or plough the land for him. This was because this landlord, this Sharma, had not given him nine months of grain due as wages. Therefore, Laldeo did not agree to go and plough the land. This *angered the landlord* who belonged to the upper caste. He said that he would teach Laldeo a lesson. Not only Laldeo. He said that he would ruin and destroy the entire Harijan basti. He also said that it would not cost him more than Rs 500 by way of hiring the goondas and bribing the people in the local police station. He made this statement. Then, Sir, within a matter of four days—this threat was given on the 12th June—the goondas backed by the local police swooped down on the village and this most tragic incident took place.

Sir, in this connection, I would like to bring to the notice of the House the real condition of the people in that particular village because that will give a profile. What is the condition of the Harijan workers? Most of the landlords pay wages at different rates. Those agricultural workers who borrow up to Rs. 1,000 will get 1.25 kg. of grain daily and ten *kattas* of *inferior* land for their cultivation This is one rate. Just imagine. 1.25 kg. of grain! I think, it will not be more than Rs. 5. It will be less than that, in fact. Then, there is another rate. Those who borrow less than Rs. 1,000 will get one kg. of grain as wages and will be given ten *kattas* of land for their cultivation. Every Harijan in the village is a bonded labourer. The low wages force

[Shri Chitta Basu]

these people to take loans. The low wages, as I have mentioned, does not enable them to eke out their existence. Almost all the Harijans are getting low wages. It is by the mechanism of law wages they are made bonded labourers.

I have got another sad story to tell this House. About the landless, agricultural, workers of Bihar, I would like to refer to the report of the Labour Ministry of the Government of India. The report of the Labour Ministry of the Government of India, for the year 1987, claims that there are only 12,102 bonded-labourers in Bihar. The report of the Labour Department of the Bihar Government says that 958 bonded labourers had been identified in 1986-87. The report further claims that 10,730 bonded labourers have already been rehabilitated. And only 350 out of 12102 remain to be rehabilitated. These figures have been given to me by the Gandhi Peace Foundation at Patna. I have met them and their estimates, on the contrary, are that there are 1,11,000 bonded labour in Bihar. Yet, Bihar Government has got the temerity to disobey the decision or the award of the Supreme Court. The Supreme Court ordered Bihar Government to free and rehabilitate 20511 bonded labour of Deodhar and Dumka districts. I visited this place, I say this from my own experience. Earlier, the Santhal Praganas Antodaya Ashram filed a writ petition to the Supreme Court giving a list of 3143 bonded labour. Bihar Government denied it. The Supreme Court set up an Inquiry Committee under K. B. Saxena. The facts were submitted by the Antodaya Ashram and the Committee found that 2515 persons were actually working as bonded labour. Still the Bihar Government is not implementing, as far as I have found, the order, the directive of the Supreme Court. Where do we live? What is the worth of the promise made by them? What is the worth of the Commission's report? Nothing. Therefore, Sir, the question is of attacking the problem at its root and the root is 'land reforms'. This is the only remedy. There is no other remedy. All other remedies are superficial. The only remedy is, distribution of the ownership, of the means of production. Land still happens to be the main means of production and these means of production have been monopolised, continues to be monopolised by a very tiny section of society.

I have got figures. I would not read them, but would like to mention certain figures to prove my point that land reform is the only way out and that is the only remedy. Here I would like to quote from a book which happens to be the speech of a Minister even today. Therefore, nobody can challenge it or dispute it. I would not take the name of that Minister, but it is one of his speeches. In the course of his speech he says and I quote:

> "While the Scheduled Castes comprise about 15 per cent of the country's population, their proportion among the poverty groups is much larger and they represent the lowest deciles. We thus find that 52 per cent of all Scheduled Caste workers are agricultural workers."

Mind it, he says, 52 per cent of the entire agricultural workers belong to the Scheduled Castes. Then he says:

> "28 per cent are cultivators, mostly small and marginal farmers, share-croppers, tenants etc.; almost all primary leather workers are from the Scheduled Castes; in the Western region almost all weavers are from the Scheduled Castes and in the Eastern region almost all fishermen are from the Scheduled Castes."

These figures I quote only to show the magnitude of the problem, the important position that the Scheduled Castes occupy today in the matter of production itself. It is no mercy from anybody, it is no mercy from the upper castes, it is no mercy from the Government. Do not underrate the Scheduled Castes. They are important part of our production system in our country. In this agriculture-based economy, Haryana and Punjab happen to be the most agriculturally developed States. And what is the position of scheduled castes there? In this

agriculture-based economy, the largest single group among the agricultural labourers in the country is the scheduled castes going upto as much as 61 per cent in Haryana and 71 per cent in Punjab. Scheduled caste women in fact constitute 72 per cent of all the women agricultural labourers in the country. So the prosperity of Haryana, the prosperity of Punjab depends upon the toil, labour and sweat of these agricultural workers. Therefore it is no mercy, I do not appeal for mercy from the ruling party, I do not appeal for mercy from those who are ruling the country, I do not appeal for mercy from the upper caste. I only say that this august House should recognise the role of the scheduled castes in the entire production system of our country, recognise their role in the economy of our country. And, therefore, if you have got that scientific approach to the problem, solution will come out. Otherwise, no tears, crocodile or true, no mercy either from that side or from this side is going to solve this problem. It is basically an economic, it is basically a political problem and a basic economic-political approach is the only answer to the problem. Thank you, Sir.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया । इस चर्चा का प्रारम्भ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और यह जो गंभीर समस्या है हमारे देश के सामने उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा । सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी भावनाओं को राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या को यहाँ रखा है इसके लिये मैं उनका हृदय से आभार मानता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं । पर हमारे कुछ सदस्यों ने आज की जो यह समस्या है उसको अपने अपने प्रांतवाद का या प्रांतीय बातों की तरफ ले गये । उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर वे ऐसा न करते तो अच्छा होता । उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि यह समस्या आर्थिक है, सामाजिक है और राजनीतिक भी है और राजनीति से ऊपर बढ़कर यह समस्या राष्ट्रीय है और इन्हीं भावनाओं को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने व्यक्त किया है इसलिये कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में काम किया है और अंग्रेजों की गुलामी को देखा है कि वह क्या थी । उनको पता है कि ऐसे क्या कारण थे जिन कारणों से देश हजारों हजार साल गुलाम रहा । हम अंग्रेजो को दोष देते रहे हैं कि वे हमको इन कारणों से लड़ा रहे हैं । आज वही बातें निम्न स्तर पर देश में आती चली जा रही हैं । इस पर सभी लोगों को चिन्तन करना चाहिए । मैं चित्त बसु जी का आभार मानता हूं जो उन्होंने भी बहस के स्तर को ऊंचा रखा । उन्होंने आर्थिक विषमताओं की शिकायत की जो स्वाभाविक है । यह करनी चाहिये । लेकिन उन्होंने इसके लिये सारी पार्टियों को दोषी ठहराया । इस सवाल को, इस राष्ट्रीय समस्या को रेड्डी साहब ने आंध्र, घोटाला जी ने हरियाणा की सरकार की और गुरुदास गुप्ता ने बंगाल की सरकार की तारीफ कर दी । ये भी अगर उस स्तर तक चले जाते तो यह आज की बहस बहुत ऊंची होती । इससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि वे इस मामले में भी प्रांतीयता से ऊपर नहीं उठ सके हैं और वे इसको राष्ट्रीय समस्या नहीं समझते या उनकी पार्टी इसको राष्ट्रीय समस्या नहीं समझती । यह बात उन्हें समझनी चाहिए । गांधी जी ने आमरण अनशन किया हरिजनों के लिए तो देश हिल गया था और अम्बेदकर साहब जो हमारे कानून मन्त्री बने बाद में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया गांधी जी का अनशन तुड़वाने में परन्तु गांधी जी ने एक बात कही थी हरिजनों के लिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : लेकिन आश्वासन तो पूरे अभी तक नहीं किये गये (**व्यवधान**)

श्री राम चन्द्र विकल : मैं आपको कभी टोकता नहीं आप इस बात पर बहस न करें तो अच्छा है । (**व्यवधान**) आप बहुत अच्छे विचारक हैं, आप गरीबों के हमदर्द हैं (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : विकल जी, आप उनकी तरफ मत देखिये ।

श्री राम चन्द्र विकल : आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे हाऊस में ? (**व्यवधान**)

[श्री राम चन्द्र विकल]

इतनी गम्भीर समस्या है और इसको हल्की करना चाहते हैं यह दुर्भाग्य है इस देश का। (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : भारत सरकार को डा० अम्बेदकर को दिये गये आश्वासनों को पूरा करना चाहिए या नहीं? यह हमारा चार्ज है इस सरकार पर।

श्री राम चन्द्र विकल : आप अपना मयार जो है वह आप अपने वक्त पर रखें तो ज्यादा अच्छा है। मुझे न टोके तो ज्यादा अच्छा है। मैं यह कह रहा था कि जो हमारी समस्याएं आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक विषमताओं की है उन समस्याओं का हल दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर किया जाना चाहिए था वह नहीं हुआ है। इस में कोई दो राय नहीं हैं। परन्तु गांधी जी ने कहा था हरिजनों को भय से निराशा से दूर करना पहला काम है और गांधी जी ने यही किया। उनका कहना यह था कि हम उनको कुछ दें या न दें लेकिन भय और निराशा से उनको मुक्त करना होगा। यह गांधी जी के विचार थे। उसकी आज कोताही है और इसमें निराशा आज हरिजनों में आई हुई है। इसके लिए कौन दोषी है? हमारा सारा समाज और सारी राजनीतिक पार्टियां दोषी है। इसी स्तर से हम को इसको लेना होगा। क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हू कि जो समाज सुधारक होते थे आज उनकी भी कमी आई है। इसमें हमारे समाज का भी कसूर है। गरीबों, हरिजनों, पिछड़े लोगो को उनके अधिकार दिलाने के लिए समाज आगे आता था। मैं इस संबंध में आर्य समाज को नहीं भुला सकता जिसने हरिजन-उद्धार का काम गुलामी के वक्त में किया और यहां तक किया कि हरिजनों को गुरुकुल में पढ़ा कर उनको पण्डित की उपाधि दी उनका नाम था सरवे वे स्नातक वे बाद में लोक सभा के मेम्बर हो गये। मैं आर्य समाजी हूं। हम लोग हरिजनों के हवन में जाते थे और वे लोग हमारे यहां हवन पर आते थे और फिर हम लोग सामूहिक आहुति देते थे। एक ही कूंए से पानी निकाल कर पीते थे। आर्य समाज ने और भी बहुत से समाज सुधार के कार्य किये। आर्य समाज ने स्वदेशी, हिन्दी का प्रचार, विधवा विवाह, हरिजन उद्धार और स्त्री शिक्षा के क्षेत्रों में काम किया। कोई भी समाज सुधारक ऐसा नही है जिसने गुलामी के दिनों में इतना काम किया हो जितना आर्य समाज ने किया। लेकिन आज आर्य समाज में भी उतनी लग्न नहीं रही जो पहले थी। आज उस लग्न की फिर आवश्यकता है। इसी तरह से और भी समाज सुधारक संस्थाए है उनको भी आगे आना चाहिए। सरकारों के साथ-साथ क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है जो अभी हल नहीं हुआ है। मैं अधिक न बोलते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी जो हमारी समाज कल्याण मन्त्री हैं, मैं तो नही मानता कि यह मन्त्री न हो कर कोई हरिजन मन्त्री होता तो सुधार होता। हरिजन मन्त्री हो फिर अफसर भी सभी हरिजन होने चाहियें यह तो एक लम्बी लाइन का सुझाव हैं यह सुझाव देना कोई अच्छी बात नहीं है। एक मांग की है कि हरिजनों के जितने काम हैं उनको एक रिपोर्ट आज आप दे दें तो अच्छा है। लेकिन काम बहुत हुआ है हरिजनों के लिए। मैं यह भी मानता हूं कि जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है लेकिन जो अत्याचार हो रहे हैं चाहे कोई भी भी पार्टी करे मैं तो एक सीधा सुझाव देता हूं कि मेरी पार्टी का कोई आदमी हरिजनों पर यदि अत्याचार करता है, जुल्म करता है, रेप करता है तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए। यह हर पार्टी को यहां एलान करना चाहिए, पार्टियों से कोई न कोई जुड़े हुए हैं ऐसी बात तो नहीं है लेकिन पार्टियों से सम्बन्ध अगर किसी का हो तो उसको पार्टी से निष्कासित करें। समाज में शक्ति आए जो पहले थी। जो ज्यादतियां करने वाले हैं उनको समूचे समाज से निष्कासित किया जाता था। जैसे पहले हमारे गांवों में हुक्का डालने का रिवाज था जो कि एक अच्छी चीज नहीं है और आर्य समाजी तो पीते भी नही थे लेकिन दंड के तौर पर ऐसे आततायियों को, जुल्म करने वालों को हरिजनों पर अत्याचार करने वालों को समाज से तिरस्कृत करने के लिये यह सजा दी जाती थी। इसलिए मैं यह कहता हूं कि ऐसे लोगों को समाज तिरस्कृत करे, राजनीतिक दल भी तिरस्कृत करें धार्मिक लोग भी तिरस्कृत करें और जो भी संगठन हो वह उनको तिरस्कृत करे तब सब तरफ से शक्ति बढ़ेगी। सरकार

चाहे किसी भी पार्टी की किसी भी राज्य में हो और केन्द्र मे तो हमारी सरकार है, अपराधी जो हरिजनों के साथ जुल्म कर रहा है उसको कडाई से दण्ड दिलाना चाहिए, उस पर कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। न्यायपालिकाएं अगर हमारी है मुझे उन पर कहने का हक नहीं है, उन्हें भी ऐसे जुल्म के मामले में न्यायसंगत दण्ड व्यवस्था को अपनाना चाहिए। वहां भी कभी-कभी ढील आ जाती है मुझे कहने का हक नहीं है। तो चाहे न्यायपालिका हो चाहे हमारी सरकारें हों, हमारी पार्टियां हों हरिजनों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ सबकी एक राय होनी चाहिए और उनको समाज की तरफ से तिरस्कृत कराना चाहिए। मैं इस पर अधिक न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हू कि राष्ट्र आज एक अजीब संकट से घिरा हुआ है। इन सवालों में पड़कर राष्ट्र हमारे सामने कहीं बरबाद न हो जाये यह हमारी सबकी इच्छा होनी चाहिए। इसलिए इस मामले को, हरिजनोद्धार के मामले को हम सब अपना-अपना मामला समझें और अपने भाई को, बेटे को, अपनी पार्टी के आदमी को अपने समाज के व्यक्ति को, हर एक को ऐसे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने में कोताही नही करनी चाहिए तथा सरकार को दण्ड दिलवाने में यदि कोई कानूनी अड़चनें हैं तो कानून में और संशोधन कर दें। इसलिए चाहे कानून हो, चाहे न्यायापालिका का दण्ड हो, चाहे समाज का दण्ड हो, चाहे पार्टियों का हो, दण्ड व्यवस्था को कुछ मजबूत करना चाहिए तभी हरिजनों का कल्याण ही नहीं बल्कि राष्ट्र का भी कल्याण होगा। मैं आपका आभार मानता हूं और उन सभी सदस्यों का भी विशेषकर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिन्होंने शुरुआत ही बहुत ऊंचे स्तर से की और राष्ट्रीय स्तर पर की। अन्य सदस्यों ने भी इसी तरह इसमें भाग लिया। यह राष्ट्रीय स्तर की समस्या है यह सारे राष्ट्र के सम्भाले ही सम्भलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार मानता हूं।

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, many words have already been said on the problem and most of the points have already been made by my friends. This problem of atrocities on the Harijans has been raised many times and not a single day passes without news of atrocities on the Harijans. I think, we have been used to take it as a daily common incident. In many places the atrocities on the Harijans are going on as cited by my esteemed colleague, Shri Om Prakash Chautala and others. They have cited many examples and I do not want to repeat those. Atrocities are done in two ways. One is physical atrocity and another is mental atrocity. In many places Harijans are burnt alive and in most of the places it can be seen that they are not allowed to fetch water from the wells not to speak of touching the body of a non-Harijan. A Harijan cannot touch even the shadow of a non-Harijan. But in some places Harijan women in our country today are abused sexually.

One Marathi poet, Keshavshud of the 19th century wrote a poem on Harijans in which a Harijan boy asked his mother having seen the differences between the Harijans and the non-Harijans, "Mother, is our God different from theirs?" That question is still alive in our country. We have got the word Harijan to use the words of Gandhi. The Harijans were called by those words, Bhangi, Doom, Chamar etc. and untouchability was indulged in by the society in its social life. It was a custom and still in many places of our country, untouchability which is a crime is going on without check. It is a shame to the whole nation that we always speak of rich cultural heritage, we call the human beings the sons of God, Amritasputra but behave with those Amritasputra worse than dogs dan cats. Gandhiji gave us a new dimension towards our morality but after Gandhiji, the Government could not give any new dimension to that and it could not make us proceed on the path of humanity. One of my esteemed colleagues said that such events can always be controlled by laws. We shall have to enhance the morals of the people but at the same time, I think, the laws have also its own course to proceed. When one ruler becomes immoral, you cannot expect some moral deeds or activities from him. So, it is the heart of the people to which we should appeal for change and to have

love and respect for humanity. In India, in many places, specially in Bihar, U.P., Rajasthan and in some places of South India also, the atrocities on Harijans are going on unchecked, unprevented, in many cases. Of course, in Assam, this problem is not there. Gandhiji visited Assam. When he visited, for your information, I would like to say that he visited some places on bicycle also. There is a rare photograph of Gandhiji going on bicycle, which is found in some places in Assam. He said that "what I am intending to do, it was done by Shri Sankodia in 500 years before" and this great saint was a poet, an artist and a religious preacher. He said, even the cats and dogs have the same soul. The priest, who is dead now, said, "there is no casteism among Vaishnavs. He, who has become Vaishnav, that is his caste. He dose not have any caste or creed to identify himself." Because of the fact that we, in Assam, possess a Hindu-Mongoloid cultural heritage, therefore, the caste system in Assam is not tight. It is very lose. In the 19th century, the writer Macos commented, "it is very difficult to determine who is a tribal and who is non-tribal among the Assamese." Now, it is seen that in many places, this casteism is kept alive in the interests of the people who are at the helm of affairs. Their political interests are there; their economic interests are there; and in their own interest, casteism is kept alive in the country. We shall have to go into the matter deeply. We shall have to change this economic structure as has been stated by Mr. Chitta Basu. We shall have to look into this. In our country, we have seen that the existing system of election always divides people in the name of caste, creed and religion. The man who speaks against casteism also stands for his own caste at the time of elections. It is a tragedy in our social life. Therefore, I want to appeal to all to come forward with sincerity, with genuine love and respect for humanity, to solve this problem. Thank you.

7P.M.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Sir, during my membership of this august body for more than six years, I had occasions to go through or even participate in such discussions on the atrocities on the Harijans and tribals. But the fact remains that the more the tears in the eyes of the speakers, the greater are the sufferings of the Harijans and the scheduled tribes. Forty-one years after the attainment of the independence of the country, we have to debate on the situation. It is a disgrace on us all that such a situation can persist in our country which attained its independence through the leadership of Gandhiji who fought all along his life for these downtrodden people. Those who have been in charge of our country for all these years used to swear by Gandhiji. But, nevertheless, this is the picture of the country almost as a whole. Not a day passes when there is not something in the press regarding atrocities on the Harijans or tribals in this or that part of the country. Which part is not important, but what is important is that such atrocities can continue in spite of so many laws. For example, there is adequate law against murder; there is adequate law against the other forms of atrocities; there is adequate law against rape. But it is found that all the laws are lame in defending the Harijans, the tribals and other weaker sections of the people. Practically, or in reality, our country is in a very paradoxical condition. Why? Our young Prime Minister started his tenure with the hope of taking the country through the 21st century. But we are perpetuating in the country the situation that was created long before. We know:

> Chaturbarnam maia srestam
> Guna-karma bibhagasa.

That is, the society that was projected in Manusanhita either in 100 AD or a few hundred years BC, persists in our country even today when we are on the threshold of the 21st century. Our independence was achieved through a compromise with the imperialism that ruled over our country for about 200 years and the resultant social transformation, the social change, the social revolution, that was to accompany our natinoal independence has never been achieved. We have always compromised with obscurantist forces, with feudel forces, with medieval forces, and allowed

the medieval situation to continue in large parts of the country, particularly in the countryside, in the rural areas. What is more peculiar in our country is that the urban centres have not been able to influence the way of life in the country-side. The process has been to the contrary. Our urban life has taken in many things from the dominant rural society. So we find these remnants of feudalism are eating out the vitality of our society. Dr. Ram Manohar Lohia used to say that in India, caste and class are synonymous. Whether from a scientific point of view or from a social analysis it is correct or not, it is a different matter, but the fact remains there is a large grain of truth in the statement inasmuch as those who are downtrodden, the Harijans, the tribals, they form the core of the exploited classes, and the earlier speakers, notably the honourable Shri Gurudas Das Gupta and the honourable Shri Chitta Basu, had dwelt on this aspect with facts and figures and graphically. So until and unless it is possible to bring about the land reform which was introduced in all parts of the country on paper but in reality which eludes the exploited sections of the people, we cannot change the conditions obtaining in the country as a whole in regard to the Harijans and the tribals. The conditions obtaining in regard to the Harijans and tribals in the country today are a shame, a disgrace, to the country. It is not a question of lauding West Bengal. But the fact is in West Bengal, during the last 11 years particularly, land reforms have brought about a new sense of self-respect and also some power among the downtrodden, among the Harijans, among the tribals. But this does not mean that all their problems have been solved in West Bengal also. Since West Bengal is also a part of the total structure of the country, without just trying to counter the point, if some real lesson is sought to be taken from what has been achieved in West Bengal and if the message is spread to other parts of the country, I am sure that much of the problem in this connection would be solved. But it will not be possible without a social revolution. (*Time-bell rings.*)

Thank you for giving me this opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Now, Dr. Jagannath Mishra. Not here. Mr. Anand Prakash Gautam. Mr. Gautam, please be brief.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : (उत्तर प्रदेश) : अदारणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, रहने को घर नही है, हिन्दुस्तान हमारा। यह उन लोगों की आवाज है, जो आजाद भारत के स्वतन्त्र नागरिक है और इस देश की 25 फीसदी आबादी के लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कहे जाने वाले लोग है। 40 बरसों की आजादी के बाद भी वह आर्थिक और सामाजिक शोषण के शिकार हो रहे हैं और आये दिन उन पर अत्याचार हो रहे है, तरह-तरह के। आज इस सदन में उन्हीं अत्याचारों के बारे में चर्चा हो रही है। इससे पहले भी मैं समझता हूं कि जितने राजनीतिज्ञ लोग रहे हैं हमेशा इस सदन में इस प्रकार की चर्चा उनके प्रति आंसू बहाने के लिए होती रही है लेकिन वे आज भी उसी तरह के सामाजिक व आर्थिक शोषण के शिकार है और उन पर तरह-तरह के जुल्म हो रहे है और वे सहते आ रहे हैं। क्या कारण है? कौन जिम्मेदार है इनका? निश्चय ही वे लोग जिम्मेदार हैं जो 40 बरसों से निरन्तर सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए है, वे इस जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते, वे चाहे कोई भी रहे हों। हमेशा अभी कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने उनके कारणों पर विचार करके देखा, उनमें मूल कारण उनका सामाजिक स्तर और समाज में रूढ़िवादिता और जो सामन्ती व्यवस्था है, उसके परिणाम है और भूमि सुधार के कारणों में, भूमि सुधारों के नियमों में, कानूनों में इस तरह से उपेक्षावादी दृष्टिकोण रहा है, उनका भी परिणाम हो सकता है कि इतने वर्षों की आजादी के बाद हमेशा जिनके बारे में रोना और सहानुभूति प्रकट की जाती रही है, या तो जिम्मेदार लोगों पर वास्तव में उनके अत्याचारों को, उनसे मुक्ति दिलाने का मन नही था और या तो उसके पीछे कोई और राजनीतिक कारण हो सकता है। मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि इनके दोनों कारण है। इसकी जिम्मेदारी सत्ता में बैठे लोगों

[श्री आनन्द प्रकाश गौतम]

की तो है ही, साथ ही समाज के उन ठेकेदारों की भी है, उन धार्मिक ठेकेदारों की भी है, जिनसे समाज को एक दिशा देने के लिये हम उम्मीद करते आ रहे हैं और आस लगाये बैठे हैं। उन्होंने समाज को गुमराह किया है। यह उनकी भी जिम्मेदारी है। आज जब हम उनके आर्थिक कारणों पर दृष्टि डालें, तो निश्चय ही यह स्पष्ट होता है कि उनकी रोटी-रोजी के साधनों को छीना जा रहा है, उनकी इज्जत पर हमले किये जा रहे हैं। कब तक बर्दास्त करेंगे ये लोग? बर्दास्त की भी कोई एक हद होती है और बर्दास्त करते-करते समय के परिवर्तन ने उनमें जो राजनैतिक, सामाजिक चेतना जगाई है, उसके परिणाम स्वरूप जो अत्याचारों में वृद्धि हुई है, मैं इसको स्पष्ट तौर पर से कहना चाहता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि लोग पूरे मन से उनके प्रति सजग नहीं हैं। उन्हें वे अधिकार नहीं दिलाना चाहते हैं जो उनके अधिकार हैं। उन्हें दया के पात्र समाज में बनाये रखना चाहते हैं जिनके वे मोहताज हैं। इस बात को कहने के लिये यदि देखें, तो बड़े-बड़े कानून बनाये गये। उनके लिये मैं कह सकता हूं कि उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिये बनाये। सरकार ने कभी एक कमिशनरी उनके लिये नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी। एक आयोग बनाया, उसको भी 1952 के कानून के तहत कोई अधिकार नहीं दिये। उनके पास केवल अनुशंसात्मक अधिकार हैं, या एड-वाइस कर सकते हैं। उनकी अनुशंसा का कार्यपालन कौन करेगा? यह सरकारी लोगों पर है। वही आ जात हैं, उनका मन कहीं पर है। मानसिक रूप से उनका मन उनकी तरफ नहीं है। अत्याचारों को समाप्त करने के लिये उनका मन नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको पेश करना चाहता हूं कि संविधान में आरक्षण की बात बड़ी पुरानी मांग है, उनका पुराना अधिकार है। जगह-जगह पर बार-बार आवाज उठती रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या मजबूरी है, सत्ता के सामने, जो उसको पूरा नहीं कर सकी। क्या कठिनाई है, उसके सामने? यहां भी एक संघर्ष की धारा उदय होती है, लोगों में उससे बदला लेने की भावना पैदा होती है यह भी अत्याचार के कारण हो सकते हैं। समाज में कोई आदमी यह चाहता है कि वह ऊंचा उठे, किसी सरकारी सेवा में ऊंचे, लेकिन वह नहीं पहुंच पाता, क्योंकि समाज का दूसरा व्यक्ति यह चाहता है कि वह न पहुंचे। क्योंकि जिन अधिकारियों के अधीनस्थ यह काम है, वे इस आरक्षण के काम को जानबूझ कर पूरा नहीं करते। कहीं पर यह कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों में उतनी क्षमता नहीं है, उनके अन्दर उतनी योग्यता नहीं है। कोई न कोई कारण लेकर उसको पूरा नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वाकई उनके प्रति सहानुभूति हैं, उन नियमों को वास्तव में मन से लागू करना चाहते हैं, कथनी और करनी का अन्तर समाप्त करना चाहते हैं, तो इस आरक्षण को पूरा करने के लिये कानून में आपको संशोधन करना पड़ेगा। क्यों नहीं, आप दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इसको लाते कि जो अधिकारी आरक्षण को पूरा नहीं करेगा या जिस अधिकारी के अधिनस्थ आरक्षण पूरा नहीं होगा उसको दण्ड विधान के तहत न्यायालय में दण्डित किया जायेगा। क्या आप ऐसी हिम्मत रखते हैं कि इस तरह का कानून बनाया जायेगा? यदि इन कारणों की ओर आप जायेंगे, तो वाकई इन हरिजनों का उद्धार होगा, उन पर अत्याचार बन्द हो सकेंगे।

मैं आप को समय की कमी के कारण अधिक विस्तार में न जाकर कुछ सुझाव आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। जो भूमि सुधार कानून है, उसकी व्यावहारिकता की ओर दृष्टि मोड़ना चाहता हूं। जब आपने पट्टे का अधिकार दे दिया है, तो अदालतों में इतने मुकदमें पेंडिंग क्यों हैं? इस बारे में कभी सोचा क्या? नहीं सोचा। जहां आपने पट्टे दे दिये, वहां यह कानून भी बना दिया कि पट्टे को निरस्त भी किया जा सकता है। हर पट्टे के पीछे एक मामा खड़ा हो गया। दस वर्षों तक मुकदमें चलते रहते हैं। वह गरीब आदमी जिसका पट्टा [illegible] की बात तो बहुत

दूर है, उसको घर से परेशानी हो जाती है, खर्चे के लिये परेशानी खड़ी हो जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है, इस कानून को आप समाप्त कर दें, कि पट्टे के खिलाफ कोई अदालत में पैरवी नहीं करेगा या मुकदमा दायर नहीं करेगा, बल्कि यहां पर यह कर दें कि जहां पट्टा हो, जो पट्टा करने की प्रक्रिया है, अगर उस प्रक्रिया में किसी प्रकार की गलती पायी जाये या कोई इस तरह की गलत बात करेगा, तो उस अधिकारी के खिलाफ दण्ड देने की तुरन्त कार्रवाही की जायेगी। ताकि ऐसे पट्टे के खिलाफ मुकदमा न चलाया जा सके, न्यायालय में नहीं जाया जा सके। शुरू में ही उसको व्यवस्था हो जाये।

मान्यवर, जहां तक अत्याचारों का सवाल है, अत्याचारों के जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये है, मार्च के महीने में लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में जो हिसाब दिया गया है, उसमें 7772 ऐसे केसेज हैं, हरिजनों के उत्पीड़न के, जिनके खिलाफ चार्ज शीट प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त, 36865 मामले भी हैं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून में पूरा संशोधन करना पड़ेगा। अभी तक कानून की प्रक्रिया में यह व्यवस्था है कि जिसके प्रति अपराध हुआ है, उसको अपराध साबित करना पड़ता है, भले ही उसके प्रति अपराध किया गया हो। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कानून में निश्चित रूप से यह संशोधन करने की आवश्यकता है कि जिस अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के प्रति अपराध हुआ है, जिसका उत्पीड़न हुआ है, उसका एफ.आई.आर. ही पर्याप्त होना चाहिये। यह होना चाहिये कि वह दोषी नहीं है, जिसने अपराध किया है, उसको साबित करना है कि यह दोषी नहीं है। अन्यथा यही व्यवस्था बनी रही तो कोई भी गरीब आदमी अपने उत्पीड़न के खिलाफ साक्ष जुटा नहीं सकता है। कानून की दृष्टि से उसको न्याय मिल सके, इसके लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। अगर यही स्थिति बनी रही और कानून के व्यावहारिक रूप से आंख, कान आदि बन्द करते रहे, तो इन कानूनों का इन जातियों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ राजनैतिक कारणों से भी अत्याचारों की घटनायें प्रकाश में आई हैं। जहां पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोग अधिक हैं, वहां पर सबल लोगों ने उनका वोट नहीं डालने दिया है। गांव सभा के चुनाव हों या अन्य चुनाव हो, अगर हरिजनों ने आवाज उठाई, उनके विरुद्ध आवाज उठाई, तो उनको मारा गया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन जातियों को संरक्षण देने के लिये कोई व्यवस्था की जानी चाहिये अन्यथा आप जितनी भी चर्चा कर लें, ये सब घड़ियाली आंसू ही सिद्ध होंगे। इससे कुछ नहीं होगा। और यह चर्चा भविष्य में भी होती रहेगी।

श्री राम अवधेश सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये बहुत आभारी हूं। डा० लोहिया ने ऐसे सदर्भ में किसे बहुत ही अच्छा बाक्य कहा है। बहुत स्पष्ट लफ्जों में उन्होंने कहा है कि चाहे जितनी भी नीतियां बदल दें, कायदे बदल दें, लेकिन उनको कारगर करने वाले अगर वही पुराने लोग हैं, तो सारी नीतियां बेकार हो जायेंगी। सवाल यह है कि क्या वजह है कि आजादी के बाद ज्यों ज्यों समय बदलता गया, त्यों-त्यों हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म और अत्याचारों की घटनायें बढ़ती गई हैं, जब कि होना यह चाहिये था कि जैसे-जैसे समय बीता जाता वैसे-वैसे अत्याचारों की घटनाओं में भी कमी होनी चाहिये थी। लेकिन उनमें बढ़ोत्तरी हुई है। इसका एक कारण यह है कि हमारा सामाजिक चिन्तन नहीं बदला है। जो उनके दिमाग पर बोझ था, वह कुछ हल्का हुआ, शिक्षा के प्रसार से वे अब अपना हक चाहते हैं। पहले सामन्तों के आंखों के इशारे से गांव के हरिजन डर जाते थे, दब जाते थे। लेकिन

[श्री राम अवधेश सिंह]

अब जब उनको अधिकार प्राप्त होने लगे, शिक्षा का प्रसार हुआ, तो वे अपना हक मागने लगे, जिनसे कि उन्हें वंचित किया जाता रहा था। तो महोदय, मैं कहना चाहता हू कि .....

उपसभाध्यक्ष (श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी) : अब समय हो गया।

श्री राम अवधेश सिंह : सबसे गड़बड़ बात यह हुई कि शासक दल की इच्छा ही नही रही कि उनको राजसत्ता में सही हिस्सेदार बनाकर यह किया जाये। जो पूना पैक्ट की भावना की थी, उसका अगर आदर किया गया होता, जो गांधी जी ने आमरण अनशन करके कराया था, तो आज यह स्थिति न होती। पूना पैक्ट की भावना थी, कि उनको नेता बनाया जायेगा। लेकिन उनको नेता न बनाकर शासक वर्ग या शासक दल ने उनको तोता बनाना अच्छा समझा, बाज बनाना अच्छा नहीं समझा। अगर तोता बनायेंगे, तो तोते को सिखाया जायेगा कि राम राम ...

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : आपने अपने विचार रख दिये, अब खत्म कीजिये।

श्री राम अवधेश सिंह : आप देखिये, कितना सारा जुल्म हो रहा है। दफ्तरों में, खेतो में, खलिहानों में, जुल्म है। दफ्तरों मे इनको सही प्रमोशन नहीं दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, उधर पैट्रोलियम विभाग कहता है कि एजेंसीज हरिजन लोगों को रिजर्व कर दी गई हैं, गैस एजेंसी। यानी एक और एजेंसी देते हैं और दूसरी ओर.....

उपसभाध्यक्ष (श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी) : आप बैठ जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं एक मिनट में कन्क्लूड करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी कानून बनाये गये हैं, हरिजन और आदिवासियों के लिये उसमें पेनल्टी का प्रोविजन जरूर होना चाहिये। जब तक उसमें पेनेल्टी का प्रोविजन नहीं किया जायेगा, तब तक खाली यह कह देने से कि यह मिलना चाहिये, काम नहीं बनेगा। अगर कोई इन नियमों के खिलाफ काम करता है, जब तक उसको दण्ड देने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक विधवा विलाप करने से कुछ होने वाला नही है।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : उपसभाध्यक्ष जी, मैंने बड़े गौर से माननीय सदस्यों के विचार सुने। मैं उन सब माननीय सदस्यों की कृतज्ञ हूं, जिन्होंने इस डिबेट में भाग लिया। मैं उनकी इसलिये भी कृतज्ञ हूं कि बहुत ही गंभीरता पूर्वक और बहुत ही सहिष्णुता के साथ हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। इस संबंध में जो विचार आये हैं, वे काफी कंस्ट्रक्टिव और अच्छे विचार है। विशेषकर माननीय बाजपेयी जी ने डिबेट आरम्भ करते हुए महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला, इसके ऐतिहासिक तत्यों पर प्रकाश डाला, जिसके कारण आज भी समाज में विषमता बनी हुई है और हमारे हरिजन और आदिवासी भाइयों पर समय-समय पर जो अत्याचार होते हैं, उसकी तरफ भी उन्होंने ऐतिहासिक कारणों को बताते हुए ध्यान दिलाया है। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि मैं इस मामले में सरकार के दृष्टिकोण को जानना चाहता हूं कि वह इन घटनाओं को किस तरह रोकना चाहती है। यह भी प्रश्न उन्होंने किया और शंका जाहिर की कि यह जो पी.सी.आर. ऐक्ट है, उसको करीब करीब इनइफेक्टिव कर दिया गया है। उसकी जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं हो पाती है। मैं संक्षेप में कहना चाहती हूं कि सरकार का दृष्टिकोण इस मामले में बिल्कुल ही स्पष्ट है। मैं केटेगरीकली यह बताना चाहती हूं कि ऐसे मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसका स्टेण्ड है कि यह जो सोशल डिसपेरिटीज के कारण समाज में इस तरह की घटनायें हो जाती हैं उसको सख्ती से रोका जाये और उसके लिये जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ जो कानूनी कदम उठाना चाहिये उसे बिना डर किये हुए हर संभव तरीके से, मजबूती से उस पर अमल करना चाहिये। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पी०सी० आर० एक्ट लागू नहीं होता है और अब

यह इनइफेक्टिव सा हो गया है। इसकी जो वार्षिक रिपोर्ट है, यह मिनिस्ट्री की तरफ से बराबर तैयार कर के दोनों सदनों में हर साल रखी जाती है। 1985 की रिपोर्ट मार्च, 1987 में रखी गयी थी और 1986 की रिपोर्ट भी जल्दी रखने वाले हैं (व्यवधान)...

श्री राम अवधेश सिंह : रिपोर्ट पर अमल होता है या नहीं (व्यवधान)।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : रिपोर्ट पर अमल होता है। यह भी बताने जा रही हू। रिपोर्ट को हाऊस में डिसकस करने के लिये कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि जो पी.सी.आर. एक्ट का है, जो यह रिपोर्ट हमारे सामने है, उससे यह जाहिर होता है कि किस तरह से केस चलाये जाते है और कैसे इनका डिसपोजल भी होता है। 1983-84, 1985-86 के आंकड़े हैं, वह यह बताते हैं कि 1983 में कनविक्शन कितने केसेज में हुआ। माननीय वाजपेयी जी कह रहे थे कि कनविक्शन होता ही नहीं है, इस सिलसिले में मैं थोड़े से आंकड़े देना चाहती हूं। 1983 में 243 मामलों में कनविक्शन हुए यह जितने केसेज रखे गये, उसका 13 परसेंट है और जिन मामलों में एक्विटल हुआ, उनकी संख्या 1707 है यानि 87 परसेंट मामलों मे एक्विटल हुआ। जो एक्शन हुआ, जो एक्विटल होते हैं, वह अपनी जगह पर हैं, लेकिन 1984 की फिगर्ज मैं बता रही हूं, कि 337 मामलों में कनक्विक्शन हुआ, जोकि 10 परसेंट है और 2443 मामलों में एक्विटल हुआ (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : एक्विटल ज्यादा है।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : 1985 में 265 मामलों में कनविक्शन हुआ। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह नहीं है कि पी०सी०आर० एक्ट लागू नहीं किया जा रहा है या उसके द्वारा लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है या सजा नहीं दी जाती है। एक्विटल भी होते हैं और सजा भी होती है। 1985 में 265 यानी 12 परसेंट कनविक्शन और 1905 मामलों में एक्विटल हुए हैं, मतलब 88 परसेंट एक्विटल हुए, यह 1985 तक के आंकड़े हैं। जो आपकी भावना है, जो आप कह रहे है, उससे मैं अपने को अलग नहीं करती हूं, मैं समझती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : कार्यवाही तो होती है, मगर एक्विटल अदालतें कर देती हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर अदालतों के सामने ठीक तरह से पैरवी नहीं होगी गवाह नहीं लाए जाएंगे और शासन का तंत्र ढिलाई से काम लेगा तो एक्विटल तो होंगे ही।

श्री गुरुदास दास गुप्त : मैं यह कहता हूं कि जो आप लोगों की ज्यूडिशियरी है, उसकी हालत यह है। They are heavily loaded against the down-trodden. Therefore, proper judicial steps are not being taken and therefore, so acquittals are taking place.

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: That is a different matter. But the P.C.R Act is there and it is implemented. Wherever such atrocities take place people are convicted. May be some are acquitted also. But we have to see that those people who are guilty, they are punished.

आप लोगों ने बिहार की चर्चा की है, बिहार में हाईकोर्ट ने.....

The High Court of Bihar has empowered the Sub-Divisional Magistrates in the head quarters of each of the districts in the State barring Patna, Muzaffarpur, Purnea and Hazaribagh to try cases concerning atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribes and PCR Act cases. In respect of districts of Patna, Muzaffarpur, Purnea and Hazaribagh, District Magistrates are already empowered to attend to this work

इसके साथ साथ 52 स्पेशल कोर्टस अलग अलग स्टेट्स में बनाये गये हैं और स्पीडी एक्शन लेने के लिये जल्दी डिस्पोजल करने के लिये मोबाइल कोर्टस भी बनाये गये हैं। As you have said that it is heavily loaded: but these are special courts and with specific purpose....

तो इसलिये इनको यह दिया जा रहा है ताकि डिले न हो। अगर डिले होता है, तो इविडेंस में बाद में दिक्कत होती

है और लोग उसमें आगे नही आते है, तरह तरह की परेशानियों होती हैं। इस वजह से कोशिश यह की जा रही है कि मोबाइल कोर्टस और स्पेशल कोर्टस के माध्यम से जल्दी से जल्दी ये केसेज निपटाये जायें। समय समय पर गर्वनमेंट की तरफ से जैसे पिछले होम मिनिस्टर की तरफ से 1980 और 1985 में गाइडलाइन्स भेजी गयी थीं। मैंने भी अपनी तरफ से सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको लिखा कि इसमें जल्दी करनी चाहिये। उसमें हमने यह भी कहा: "....,You will also agree that on account of dragging on these cases in the courts for a long time, justice is delayed, if not anything else, leading to frustration and lack of faith in the system. Some State Governments have set up special courts, mobile courts, to expedite the prosecution of these cases. I am of the opinion that if special courts and special mobile courts are set up, they will go a long way to bring justice to the doorsteps of the poor who otherwise cannot travel long distances frequently to appear in the courts."

Then another suggestion I have given to the Chief Ministers is, as Mr. Gupta was referring to, I said "Apart from all these measures, what is more important is the attitude of persons who are dealing with these cases. The Prime Minister has also observed that it is not the lack of cognizability that prevents justice being done to the Scheduled Castes and exclusively punitive approach does not carry us very far. What is required is sensitising the top leadership in the district, both administrative and police, to vital social dimensions.

Second is, training programmes which should include imparting of skills to persuade people to give up wrong attitude.

It is, therefore, desired that officers who are dealing with matters relating to Scheduled Caste should be sensitive to the plight of this very poor vulnerable section of our society. They should have proper any sympathetic attitude and a sense of dedication to these under-privileged classes. ...There should be a definite commitment on the part of officer..."

हमारे तरफ से हमने स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को बहुत क्लीयर गाइडेंस दिये हैं और होम मिनिस्ट्री ने भी समय समय पर जैसे 1980 और 1985 में उन्हें बार बार डिटेल में गाइडलाइन्स दिये कि किस तरह से पी.सी.आर. एक्ट को लागू होना चाहिये और लागू करने के लिये स्टेट्स को किस तरह से कदम उठाने चाहियें। इसके लिये हमारे पास एक मानीटरिंग सेल भी है। इसमें भी हम लोग स्टेट गर्वनमेंट्स से बार बार खबर लेकर उनकी तरफ से जो न्यूज आती हैं, उसको देखते हैं कि किस प्रकार से कहां पर पर काम हो रहा है। यह तो जो आपने कहा था कि कैसे क्या हो सकता है, उस सिलसिले में मैंने बताया कि इसके लिये गर्वनमेंट ने ये सब कदम उठाये हैं; सिविल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वह विफल नहीं हुआ है। इसको सदन में रखा भी जाता है।

एक माननीय सदस्य ने और अभी कहा आखिर में, गौतम जी ने कहा, शायद उन्हें मालूम नही है कि कमिश्नर के आफिस को और स्ट्रैंथन किया गया है। संविधान की धारा 338 के अंतर्गत कमिश्नर को स्टैटुअरी पावर है और वह संविधान के अतर्गत है। जब कमीशन बनाया गया था उस वक्त 1978 में जनता पार्टी के राज में उस वक्त कमिश्नर को एक्स-ओफीशियो मैम्बर बना दिया गया था कमीशन के साथ में और इस कमीशन को कोई पावर नहीं दी गई थी जो रेजोल्युशन उस समय रखा गया था, लेकिन हमने अभी पिछले वर्ष सदन के सामने सदन के पटल पर जो कागज रखा उसमें यह स्पष्ट किया और यह सरकार ने नीति बनाई है कि जो स्टैटुअरी फक्शन है कमिश्नर के धारा 338 के अन्तर्गत उनको और मजबूत किया जाए और उनके साथ में दो सीनियर सेक्रेटरी रेंक के आफिसर्ज एक ट्राइबल पक्ष को देखने के लिए और उनकी समस्याओं, उनके सेफगार्ड्ज को, उनके सारे जो काम हो रहे हैं उनको देखने के लिए और दूसरा शेडयूल्ड कास्टस की सारी समस्याओं और सैफगार्ड्ज जो संविधान के अंतर्गत उनको मिले हुए हैं, उसके लिए रखे हुए हैं। साथ-साथ केबिनेट सेक्रेटरियट में भी [illegible]

सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी रखे गए है जो यह देखेंगे कि राज्यों में अगर कार्यान्वयन के सिलसिले में काम नहीं हो रहा है तो वहां पर उसके लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है। फिर स्टेट गवर्नमेंट को कैसे काम करना है उन सारी चीजों को भी वह देखेंगे। यह काम इसलिए किया गया है कि आज यह सरकार केवल ऐसे ही बात नही करना चाहती है बल्कि अनुभवों के आधार पर कार्यान्वयन पर भी बहुत जोर दे रही है। To implement and to see that the safeguards are given effect to, we have strengthened the Commisisoner's office. कमीशन था उसको नेशनल कमीशन बना करके उसको और बड़ा बनाया गया है। उसके स्कोप को इस रूप में रखा गया है कि उसमें 5 परमानेंट मैम्बर्ज और 6 अलग से मैम्बर होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे जो हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं को देखेंगे। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें स्टडीज में जाने की आवश्यकता है तो हमें यह देखना है कि इन सब कानूनों के बावजूद भी अभी तक यह अत्याचार और दूसरे तरह की डिसपेरिटीज समाज के अन्दर है और चल रही हैं इनको कैसे जल्द से जल्द हम दूर कर सकते है। इस वजह से कमीशन को एक जैसे वह रिसर्च भी करेगा, प्रोजेक्ट लेगा और साथ-साथ जो सेफगार्ड संबंधी इन्वेस्टीगेशन की बातें थीं उनको भी वह जारी रखेगा।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं आपसे एक-दो मिनट चाहता हूं?

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : देखिए आप बैठ जाइए।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, जो बात आप बोल रहीं हैं उसी पर मैं सफाई चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : राम अवधेश जी आप बैठे जाइये। ....(व्यवधान)... नही, आप बैठ जाइये।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मैंने मलिए कहा कि जो काम होना है या आ है या जिसके सिलसिले में कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी माननीय सदस्यों को जरूर होनी चाहिए। आपने कहा, राम अवधेश सिंह जी ने भी कहा कि "नो पोलर्टीकल विल" अर्थात् किसी चीज को करने के लिए पोलिटीकल विल नहीं है। एक माननीय सदस्य ने भी रिजर्वेशन की बात कही कि रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ और इस तरह से कानून में संशोधन करना चाहिए और अधिकारियों को सजा देने की बात भी या क्या कर सकते हैं, तो रिजर्वेशन जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है जब संविधान बना था उस समय केवल 10 वर्ष के लिए रखा गया था लेकिन आज 40 वर्ष के बाद भी वह रिजर्वेशन कायम रखा गया है। यह कोई दल गत बात नही है, किसी दल की बात नही है। कांग्रेस क्या कर रही है या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं यह बात नही है, लेकिन जब पोलिटीकल विल की बात कहते हैं या पोलिटीकल डिसीजन लेने की बात कहते है तो वहा पर यह कहना पड़ता है कि 28 महीने छोड़कर बाकी तो हमेशा हमारी सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है और हमने रिजर्वेशन को कायम रखा, वह इसीलिए कायम रखा। जब जनता पार्टी की सरकार टूट रही थी और उसके बाद यह दस साल का रिजर्वेशन जो था, उसे बढ़ाना था, इंदिरा जी ने सन् 1980 में आते ही 24 जनवरी को सबसे पहला काम यही किया जहां तक मुझे याद है, 20 तारीख को उन्होंने ओथ ली और उसके बाद तुरंत पार्लियामेंट बुलाकर सबसे पहला काम यही किया कि दस साल का रिजर्वेशन जो है, वह जारी रहना चाहिए। तो इस तरह की बात कहना कि रिजर्वेशन के सिलसिले मे हमारी तरफ से कोई लापरवाही की बात होती है तो मैं समझती हूं, ठीक नहीं है। ....(व्यवधान)...

श्री राम अवधेश सिंह : लागू करने में लापरवाही है।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि इस संबंध में गवर्नमेंट की नीति बहुत स्पष्ट है और बार-बार इस पर गौर करने के बाद यह तो हमें मानना ही पड़ता है कि नौकरी में अगर हमारे जो हरिजन कैण्डीडेट्स हैं

[डा० राजेन्द्र चुमारी वाजपेयी]

जिनके लिए सीट सुरक्षित है या आदिवासी लड़कों के लिए सीट सुरक्षित है और अगर वह उस साल के कंपटीशन में नहीं आते है तो उस सीट को फिर रिजर्व रखा जाता है, उसे दुबारा मौका दिया जाता है। जैसे दो या तीन सीट खाली रह जाती हैं तो अगले साल फिर रिपोर्ट किया जाता है और अगर फिर भी हरिजन लड़के या आदिवासी लड़के नहीं आते है तो तीसरी बार भी उनको मौका दिया जाता है कंपटीशन में आने का। इस तरह से पूरे अवसर उन्हें दिए जाते है साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि जब उसके डी-रिजर्वेशन की स्थिति आ जाती है, जैसे कुछ ऐसी पोस्ट हैं, जिन्हें तीन साल वेट करने के बाद भरना जरूरी होता है और रिक्वायर्ड क्वालीफिकेशन के कैण्डीडेट्स नहीं मिलते हैं तो केस कमीशन के पास भेजा जाता है ...(व्यवधान)...

कुमारी सईदा खातून : मैडम, एक मिनिट आपका लूंगी। यह जो हर स्टेट में इस तरह से जो सीट भरे जाने का है, मैंने कई जगह यह देखा है कि आदिवासी-हरिजन नही आते हैं तो वह सीट अदर कास्ट से भर ली जाती है।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : ऐसा नही है। अगर वह रिजर्वेशन की है, तो तीन साल तक देखते है और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति आती है कि उस क्वालीफिकेशन के लड़के हरिजन और आदिवासी के नहीं मिलते हैं और काम मे दिक्कत आ रही है तो वह पूरा मेटर कमीशन के पास जाता है। आफीसर स्वय उसे नहीं भरता, कमीशन के पास पूरा मेटर जाता है और कमीशन उस पर विचार करता है कि डी-रिजर्वेशन करना है या नही करना। जब तक कमीशन की तरफ से विचार करने के बाद फैसला नहीं हो जाता तब तक वह पोस्ट डी-रिजर्व नही की जाती। तो गवर्नमेंट जानबूझकर ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट की तो खुली पालिसी है इस मामले में।

साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं, जैसे यहां पर कुछ मास-रेप की बात कही गई, स्त्रियों पर बलात्कार की बात कही गई और बड़े पैमाने पर हत्याएं करने की बात कही गई, यह काम तो वास्तव में बहुत ही निंदनीय हैं, वीभत्स हैं, आप सबकी दृष्टि में है, हमारी दृष्टि में भी हैं। हम यह समझते हैं कि इस तरह की वीभत्स घटनाओ को रोकने के लिए जहां एक तरफ सरकारी मशीनरी को चुस्त होना ही है, तेजी से काम करना ही है, तुरन्त कार्यवाही करनी है, उसी के साथ-साथ जनमत भी हमें ऐसा बनाना है, जिसके द्वारा हम इनको रोक सकें और एक ऐसा वातावरण इस देश में बनाना है, जो कि अभी तक नही बन पाया है।

महोदय, हमारे देश की आबादी का 80 प्रतिशत अभी भी गांवों मे हैं यो तो कानून से हमने अनटचेबिलिटी को समाप्त किया हुआ है, अनटचेबिलिटी को एक अपराध माना हुआ है और इसके लिए पी० सी० आर० एक्ट जो बनाया हुआ है उसको सख्त करने की कोशिश की गई, सजा भी बढ़ाने की बात हुई लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि 80 प्रतिशत जनता जो गांवों में है, कम पढ़ी-लिखी है, उनमें शिक्षा का अभाव है, विशेषकर स्त्रियों में और फिर वे गरीब हैं इसलिए उनचा, समाज के वे लोग जो शक्तिशाली है या बड़े लोग हैं फायदा उठाते हैं, इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। तो इस सवाल पर हम सब को मिलकर सफाई से बात करने की जरूरत है, हम सबको मिलकर के करने की बात है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इस पर एक नेशनल डिबेट हो और उस पर पूरी तरह से जनमत तैयार किया जाय तो इससे कोई इंकार नहीं कर सकता।

जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि इस पर एक नैशनल डिबेट हो और एक पूरी तौर पर जनमत तैयार किया जाय इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है क्योंकि हम सामाजिक भेदभाव तभी दूर कर सकते हैं जबकि उसके लिए पूरे समाज की मानसिकता को हम उस तरह तैयार कर सकें। आज इस तरह से जो काम हो रहे हैं खासकर जहानाबाद की बात काफी माननीय सदस्यों ने बतायी और साथ-साथ कई और जगह की घटनाओं की बात कही गयी। यह सब घटनाएं हुई उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिए गए हैं। महोदय, हमारे यहां कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं सारे देश में करीब 7 स्टेट्स में 48 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स

हैं जोकि सेंसिटिव है । जहा पर कि अक्सर हरिजनों पर या आदिवासी क्षेत्र है तो आदिवासियों पर ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं, जैसे बिहार में पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, गया, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगुसराय, मुंगेर और रांची और गुजरात मे अहमदाबाद (रूरल), मेहसाना, सुरेन्द्रनगर, जूनागढ़, खेडा, अमरेली, राजकोट (रूरल), बनासकाठा, बड़ोदरा (रूरल), भडौच, कच्छ है । इनमें ज्यादातर ट्रायबल एरियाज आते है । हरियाणा के बारे में चौटाला साहब कह रहे थे कि उनके यहां ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं । मैं उनकी जनाकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हरियाणा में अम्बाला, करनाल, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद—पांच डिस्ट्रिक्ट्स है, जहां पर एट्रोसिटीज रिपोर्ट होती है । कर्नाटक में बंगलौर, बीजारपुर, कोलार, मैसूर, तमप्रद और गुलबर्ग—6 डिस्ट्रिक्ट्स है । मध्य प्रदेश में मुरेना, बिलासपुर, पन्ना रायपुर, जबलपुर, उज्जैन और भोपाल—7 डिस्ट्रिक्ट्स है । महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, परभानी, और गुलडाना—5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पंजाब में दो गांव फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में, तीन गांव संगरुर डिस्ट्रिक्ट में और तीन गांव पटियाला डिस्ट्रिक्ट में हैं । इस तरह से यह समस्या केवल एक स्टेट में नही है । यह अलग-अलग स्टेट्स के कुछ हिस्सों में हैं, यह भी नहीं है कि सारी स्टेट्स के सब हिस्सों में होती हैं । इस वजह से उन प्रोब्लम्स को उसी हिसाब से देखने की आवश्यकता है ।

महोदय, यह कहना कि कांग्रेस रन स्टेट्स में ये घटनाएं होती है और दूसरी जगह नहीं होती है, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से मैं यह अपील करुगी कि उनकी यह एप्रोच इस प्रोब्लम पर विचार करते वक्त नहीं होनी चाहिए । इसके लिए जरूरी है कि हम बुद्धिजीवी लोग और समाज-सेवी संस्थाएं लोगों के बीच में इस प्रकार को स्थिति पैदा करें जिससे कि ऐसे आक्रमण करते वक्त लोग घबड़ाएं और उन को लगे कि कानून का जो शिकंजा है वह उन को काफी जल्दी गिरफ्त में ले लेगा । हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यह पूरी कोशिश होगी कि इस प्रकार की घटनाएं कम की जा सकें और धीरे-धीरे हम इसे पूरी तरह से समाप्त कर दें ।

महोदय, अभी असम रायफल्स की बात करते हुए कहा गया कि जूडिशियल इंक्वायरी की बात नहीं कही गयी । हमारे पास रिपोर्ट यह है कि उसकी जूडिशियल इंक्वायरी तो नही की गयी लेकिन दूसरी तरह से इंक्वायरी की गयी । हाय आफिसर्स ने इसकी इंक्वायरी की । जो रिपोर्ट आई है उससे यह जाहिर होता है कि मैं किसी एट्रोसिटी को डिफेंड करने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं । आय एम वेरी कैटोगोरिकल आन दिस पाइंट और केन्द्र सरकार भी इस बारे में बहुत कैटोगोरिकल है । हम किसी एट्रोसिटी को डिफैंड करने के लिए यहां नहीं है । और केवल इतना ही हमें कहना है कि जो भी, जहां पर भी ऐसी घटना होती है और फौरन उस पर कार्यवाही करने के लिए कहा भी जाता है और कार्रवाई होती भी है । जिस घटना को लेकर के ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की बात की है माननीय सदस्य ने, उसमें जो इंक्वायरी हुई उसमें यह पाया गया कि दो लड़कियों के मामले में तो यह समझा जाता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और बाकी लोगों के जो और एविडेंस आए, जो सामने आए, कमेटी के सामने, उसमें उनको लगा कि इस तरह की चीज नहीं है । फिर भी जो एक्शन जिस लेवल पर होना चाहिए था उसको लिया गया है ।

जयपुर की बात, जो शंकराचार्य जी की बात की गई, हा त्रिपुरा की बात थी । त्रिपुरा DM and Collector, West Tripura, SDO Khawai, West Tripura, who is a lady Officer, Shri Rajendra Verma, DSP Tripura and an Officer of the Assam Rifles of the fact finding committee submitted their report on 13-6-1988. The Committee opined that first the allegation on mass rape is baseless. Second, the probability of rape of Smt. Radhika Das Verma and the attempt to outrage the modesty of two girls viz. Vidya Lakshmi Verma, aged 18

[डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी]

years, Vishvalakshmi Dev Verma, aged 16 years, daughter of Rajendra Dev Verma cannot be ruled out. According to the State Government it is suspected that the allegation of mass rape was intended to malign the security forces operating in that area. कहते यह है कि उस समय टी०एन०वी० के खिलाफ वहां पर आपरेशन हो रहा था और ये लोग वहा पर गए थे और कुछ लोगों को एरेस्ट किया, तो उसी सिलसिले में यह बात भी हुई । जब रिपोर्ट आई और उसकी शिकायत हुई तो फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाई गई और उन्होंने ऐसा पाया है कि उसके बाद भी और भी जो एक्शन होने थे, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी । अभी तो प्रीलमिनरी स्टेज में ये बातें हुई हैं ।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Please allow me for a moment because she has raised the question of Tripura, to which I was referring. So many MPs and noted figures of the women's movement went there and interviewed these victims and they have given the report. They have interviewed at least seven women. They have given the report and submitted their information before the Chief Minister. When such a thing has taken place, they have also demanded a judicial inquiry. The hon. Minister was saying that there was an official inquiry in which it was stated only two girls were involved and mass rape was not there. It was the intention of those people who alleged that to malign the Government they have done this. That is exactly why the dispute is there. It is not enough if sympathy is shown and people ask the Chief Minister or the State Government or the judiciary to look into the affairs more sympathetically and to react sensitively to such allegations. Here a concrete case is made out and it is referred to the State Government as well as the Central Government and the Chief Justice of India. In such a case what is the objection of the hon. Minister to advise the Chief Minister and the State Government to set up a judicial inquiry? We know how official inquiries are made in such affairs and report is submitted.

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: I have stated the fact that has been given by the State Government. They don't think that there is any need for further judicial inquiry on this: They can take action on that fact-finding Committee also. They are not saying nothing has been done.

8.00 P.M.

So far as Tripura case is concerned, it is a law and order problem and it with the Home Ministry.... (*Interruptions*)... They have given us the information that on the basis of preliminary report whatever action is possible they would take. So it is between the Home Ministry and the State Government.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: As the hon. Minister is in charge of Ministry of Welfare, I would request her to take up the matter with the Home Ministry so that they can advise the State Government to order a judicial enquiry into the matter.

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: You have expressed your view-point. Now, it is for the Home Ministry to consider it.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, one moment. The point is...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Mr Gurudas Das Gupta, please sit down. Let her finish.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Molestation of women and raping of women cannot be considered to be a part of...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Let the Minister complete.

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : जिस तरह से रायट्स विकटिम्स के लिए हम लोगों ने नार्म्स बनाये हैं कि जिनकी डैथ हो जाती है रायट्स में उनको 20 हजार रुपया कम्पेन्सेशन के रूप में देते हैं और जो घायल होते हैं या सामान्य रूप से जिनका माल लूट लिया जाता है उनके लिए अलग-अलग कम्पेन्सेशन है । घायल के लिए

5 हजार रुपये और जिनका सामान लूट लिया जाता है उसको जितना उसका नुकसान होता है उसके हिसाब से कम्पेन्सेशन देते हैं और यह इस मामले में भी रखा गया है। जहां तक सवाल है असम राइफल्स का the Home Ministry is taking proper action and that Ministry is very much interested because it is a Central Force. They are taking necessary steps. I can only assure the hon. Minister that appropriate action will be taken which is necessary for the fact finding committee. So it is with the Home Ministry and they are not ignoring it.

मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस बात के लिए जो गाइडलाइन्स दी गयी है उसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि जहां पर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी फिक्स की गयी है वह उन्हें दी जाये। अगर लोग नहीं देते है जैसे लैंड लोर्ड हैं या बड़े किसान हैं वे अगर उनको नहीं देते हैं तो इससे सम्बन्धित जो अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि वे समय-समय पर उन एरियाज में ऐसे सैंसेटिव एरियाज में जाये दौरा करें। अगर कोई ऐसी प्रोब्लम खड़ी होती है तो उसका निराकरण करें ताकि बातें आगे बढ़ने न पायें।

आज बिहार में तरह-तरह नाम से सेना बनी हुई हैं। वे एक क्लासवार की स्थिति पैदा कर रही हैं। यह अनफार्चुनेट सिच्युएशन है अगर देश के किसी भाग में ऐसी स्थिति पैदा होती है। हमारा यह वैलफेयर स्टेट है। हमारी गवर्नमेंट की यह नीति है कि जहां पर वीकर सैक्शन है वहां पर उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती न की जाये। इकोनोमिक डवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह के उपाय किये जा रहे हैं। उनके लिए काम किये जा रहे हैं। फिर यह जो मिनिमम वेज की बात है यह उसी स्कीम का हिस्सा है। इसके कारण अगर कहीं पर मार-पीट होती है, हत्याएं होती हैं तो शर्मनाक चीज है। इसके लिए समाज के अन्दर हमें वातावरण बनाना है, उन एरियाज में वातावरण बनाना है जिससे ये बातें वहां पर न हो सकें और लोग कानून को अपने हाथ में न लें। इस प्रकार से बड़े पैमाने पर एक साथ जो गांव के गांव जला दिये जाते है, लोगों की हत्याएं की जाती है, रेप किये जाते है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां तक स्त्रियों के साथ रेप का सवाल है यह तो हमारी भारतीय संस्कृति के ही खिलाफ है। मैं यह कहना चाहती हूं कि स्त्रियों को धीरे-धीरे हमारे समाज में स्टेटस मिल रहा है और कानून भी स्त्रियों को स्टेटस दिलाने की दिशा में काम कर रहा है। कांस्टिट्यूशन में भी स्त्रियों को सब अधिकार प्रदत्त किये गये है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों के साथ ज्यादती हो तो यह उचित नहीं है। इसके लिए सख्त कानून भी बनाया गया है। पिछली बार आपने देखा होगा कि रेप के अगेंस्ट कानून बनाया गया है। गरीबों के साथ, वीकर सेक्शन के साथ जो ज्यादतियां होती हैं उनको रोकने के लिए सरकार कार्यवाही करती है। हमारे एस.टी. डिवीजन में इस दिशा में काम हो भी रहा है। हमारे जो कार्यक्रम है उनमें कम्पोनेंट प्लान और स्पेशल एसिस्टेंट प्लान आदि सारी चीजें बहुत कार्यक्रम का हिस्सा है। ट्राइफेड इन क्षेत्रों में काम कर रहा है। यहां पर जो फोरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी कीमत इन लोगों को ठीक मिल सके, इसके लिए भी प्रयत्न हो रहा है। यह नेशनल स्केल पर एपेक्स संस्था है। इसके अलावा आदिवासियों की लैम्प और स्टेट कोआपरेटिव है उनको भी स्ट्रेन्थन करके इन लोगों की मदद की जा रही है। अभी हमने शाल के बारे की इन लोगों को लाभदायक कीमत दिलाई है। इसके अलावा नेशनल स्केल पर नेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइबल्स के लिए बनाया गया है जिसमें 50 करोड़ रुपये की केपिटल हमने लगाई है। उसकी स्कीम भी तैयार हो गई है, वह रजिस्टर हो गया है। उसके लिए स्पेशल आफिसर

[डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी]

भी नियुक्त कर दिया गया है । ये सब काम हो रहे हैं । उन लोगों पर जो एट्रोसिटीज होती है, ये तो एक तरह से सोशियो इकनोमिक प्रोबलम है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं । इस दिशा में भारत सरकार जो भी काम करती है वह स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ही करती है । जो एट्रोसिटीज का मामला है वह भी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हल किया जा सकता है । इसलिए हम समय-समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स को हिदायतें देते हैं ।

जहां तक लेण्ड लेस लेबरर्स का सवाल है, आज जानते हैं कि पिछले साल ही हमने इसके लिए कमीशन बैठाया था । प्रधान मंत्री जी ने भी इस संबंध में चिन्ता व्यक्त की थी । यह एक बहुत बड़ा प्रोबलम है । हम चाहते है कि जो मिनिमम वेजज हैं वे मजदूरों को मिलें । इन लोगों पर जो एट्रोसिटीज होती है उन सब का जवाब यही है कि इन लोगों का इकनोमिक डेवलपमेंट किया जाय । इसका जवाब वह नहीं है जो श्री गौतम जी ने कहा कि भारत में हमारे लिए जगह नहीं है । ऐसी भावना को लेकर हमें बात नही करनी चाहिए । समाज के अन्दर अगर लीडर इस प्रकार से बात करेंगे तो यह ठीक नही है । महोदय, यों तो समय काफी हो गया है, इसलिए आखिर में मैं यह बात कहना चाहूंगी कि भारत सरकार का मन इस मामले में बहुत स्पष्ट है और जो भी एट्रोसिटीज होती हैं उनको हमें कानून के द्वारा दूर करने के साथ-साथ समाज के अन्दर मानसिकता को बदल कर भी करना है । इसको हम फेस करेंगे और मीट आउट करेंगे । हमें इसको हटाना है, इसको समाप्त करना है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Now, the House stands adjourned and will meet again tomorrow, the 5th August 1988 at 11 A.M.

The House then adjourned at ten minutes past eighth of the clock, till eleven of the clock, on Friday, the 5th August 1988.